उत्तराखण्ड शासन
पेयजल अनुभाग–1
संख्याः 72/उन्तीस/12–(40अधि0)/2012
देहरादून : दिनांक 17जनवरी, 2013

कार्यालय आदेश

उत्तराखण्ड जल संस्थान के कनिष्ठ अभियन्ताओं की अनन्तिम ज्येष्ठता सूची, उत्तराखण्ड जल संस्थान के पत्र संख्याः 2720/कार्मिक/01/ज्येष्ठता(अभि0)/57/11-12 दिनांक 14–08–2012 द्वारा परिचारण की तिथि से दिनांक 05–09–2012 तक आपत्ति और सुझाव आमंत्रित किये गये थे।

उक्त अनन्तिम ज्येष्ठता सूची पर कनिष्ठ अभियंताओं द्वारा आपत्तियां उपलब्ध करायी गयी है। प्राप्त आपत्ति पर विचार करते हुए ज्येष्ठता सम्बन्धी मामलो को शासित करने तथा उनके नियमित आधारभूत सिद्धान्त निश्चित करने हेतु एतत्द्वारा, उत्तराखण्ड जल संस्थान अभियन्त्रण नियमावली, 2011 के नियम–24 के उपनियम के अन्तर्गत निर्धारित मापदण्डों के अनुसार इन अधिकारियों पर भी लागू हैं, में प्रवृत्त करते हुए अन्तिम वरीयता सूची के आदेश पारित किये जाते हैं।

उपयुक्त प्राप्त आपत्तियों के सम्बध में स्थिति निम्नवत् हैः–

1– श्री रामकरन वर्मा कनिष्ठ अभियन्ता उत्तराखण्ड जल संस्थान ने अपनी तकनीकी योग्यता डिप्लोमा के स्थान पर बी0टैक0 सिविल अभियन्त्रण अंकित करने हेतु आवेदन पत्र साक्ष्यों सहित उपलब्ध कराया है जिनके आधार पर श्री रामकरण वर्मा की अतिरिक्त तकनीकी योग्यता बी0टैक (सिविल) यथास्थान पर अंकित कर दी गयी है।

2– श्री नरेन्द्र सिंह कनिष्ठ अभियन्ता ने सूचित किया है कि मुख्यालय द्वारा निर्गत अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में इनका नाम अंकित नहीं है। इनके द्वारा अपना नाम ज्येष्ठता सूची में यथोचित स्थान पर अंकित किये जाने का अनुरोध किया है।

जल संस्थान द्वारा दिनांक 23–07–12 के द्वारा श्री नरेन्द्र सिंह पुत्र स्व0 श्री नन्दन सिंह की नियुक्ति कनिष्ठ अभियन्ता के पद पर शाखा कोटद्वार में की गयी थी त्रुटिवश इनका नाम अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में अंकित नहीं हो पाया है। अतः निर्गत ज्येष्ठता सूची में श्री नरेन्द्र सिंह पुत्र स्व0 श्री नन्दन सिंह कनिष्ठ अभियन्ता का नाम यथा स्थान पर अंकित कर दिया गया है।

3— अधिशासी अभियन्ता उत्तराखण्ड जल संस्थान चम्पावत के पत्रांक 1765 दिनांक 24-08-2012 के द्वारा सूचित किया गया है कि सुरेन्द्र सिंह कनिष्ठ अभियन्ता उत्तराखण्ड जल संस्थान चम्पावत का नाम अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में अंकित नहीं है जिसका विवरण निम्नानुसार प्रेषित करते हुए श्री सुरेन्द्र सिंह का नाम ज्येष्ठता सूची मे अंकित किये जाने का अनुरोध किया है।

जल संस्थान द्वारा दिनांक 14-08-2012 से निर्गत अनन्तिम ज्येष्ठता सूची के क्रमांक 142 पर श्री सुरेन्द्र सिंह कनिष्ठ अभियन्ता का नाम पूर्व से अंकित है। उक्त सूची में त्रुटिवश इनकी जन्म तिथि 09-12-1982 एवं गृह जनपद टिहरी अंकित है। उपलब्ध साक्ष्यों के अनुसार इनकी जन्म तिथि 09-12-1982 के स्थान पर 26-07-1981 एवं गृह जनपद टिहरी के स्थान पर पिथौरागढ अंकित कर दिया गया है।

4— श्री संजय कुमार श्रीवास्तव, श्री शिशुपाल, श्री विनोद कुमार एवं श्री रमाशंकर, कनिष्ठ अभियंताओं द्वारा एक समान आपत्ति की है जो निम्न है:—

स्थानीय निकाय निदेशालय उत्तर प्रदेश लखनऊ के कार्यालय पत्र दिनांक 10-08-1998 द्वारा लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश इलाहबाद द्वारा किये गये चयन के आधार पर जारी नियुक्ति सूची में इनका नाम तथा अन्य कनिष्ठ अभियंताओं के नाम जिस क्रमांक के अनुसार अंकित है ,अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में नाम उसके अनुसार नहीं है। साक्ष्य के रुप में इनके द्वारा उल्लेख किया गया है कि नियुक्ति पत्र के प्रस्तर-04 में उल्लेख है कि "उपरोक्त अभ्यर्थियो की पारस्परिक ज्येष्ठता वहीं रहेगी, जो लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश द्वारा वरिष्ठता क्रम के अनुसार निर्धारित की गयी है।"अतः ज्येष्ठता नियुक्ति पत्र के क्रमानुसार अवधारित होनी चाहिए।

उपलब्ध कराया गया साक्ष्य पत्र दिनांक 10-08-1998 नियुक्ति आदेश है तथा इस आदेश में यह अंकित है कि "उपरोक्त अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता वहीं रहेगी, जो लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश द्वारा वरिष्ठताक्रम के अनुसार निर्धारित की गयी है। जबकि इन कनिष्ठ अभियन्ता की वरिष्ठता निदेशक स्थानीय निकाय उत्तर प्रदेश आठवां तल इन्द्रा भवन लखनऊ के आदेश दिनांक 03-01-2008 से जारी अन्तिम ज्येष्ठता सूची के अनुसार निर्धारित की गयी है अतः इनका प्रत्यावेदन बलहीन होने के कारण निरस्त किया जाता है।

5— श्री राजेश कुमार निर्वाल कनिष्ठ अभियन्ता का आवेदन पत्र साक्ष्यों सहित प्राप्त है जिसमें श्री निर्वाल द्वारा अनुरोध किया है कि प्रार्थी का नाम मुख्यालय के पत्र दिनांक 14-08-2012 से जारी की गयी अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में कमांक 30 पर रखा गया है जबकि प्रार्थी की नियुक्ति की तिथि 23-06-1997 के अनुसार प्रार्थी का नाम क्रमांक 21 पर रखा जाना चाहिए था। साक्ष्य हेतु सेवा पुस्तिका की छायाप्रति प्राप्त है।

श्री निर्वाल का नियुक्ति पत्र दिनांक 09 जून, 1997 का अवलोकन किया गया। उक्त नियुक्ति पत्र के पृष्ठांकन में सचिव लोक सेवा आयोग के पत्र दिनांक 29 नवम्बर, 1995, 18 जनवरी, 1996 तथा 12 फरवरी, 1996 का संदर्भ दिया गया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि आयोग के उक्त पत्र द्वारा श्री निर्वाल को चयनित कर आयोग को अवगत कराया गया है, जिसके क्रम में दिनांक 09 जून, 1997 में उन्हें नियुक्ति आदेश दिया गया और उक्त नियुक्ति आदेश के क्रम में दिनांक 23-06-1997 को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण किया गया, जैसा कि सेवा पुस्तिका में भी स्पष्ट है। प्रत्यावेदन को स्वीकार करते हुये नियुक्ति की तिथि से ज्येष्ठता क्रमांक-20 पर निर्धारित कर दी गयी है।

6— श्री विनोद पाण्डेय कनिष्ठ अभियन्ता उत्तराखण्ड जल संस्थान दक्षिण देहरादून ने अपने आवेदन पत्र दिनांक 27-08-2012 में निम्न आपत्ति की है।

क्रम संख्या 31 से 40 तक उल्लेखित कनिष्ठ अभियन्ताओं का विनियमितीकरण जल संस्थान के पत्र दिनांक 24-08-2004 द्वारा दिनांक 17-08-2004 से किया है जिसमें स्पष्ट रूप से विभाग द्वारा शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1680/उन्तीस/04/2(12अधि0)/2004 दिनांक 01-07-2004 से गठित विभागीय चयन समिति की संस्तुति के आधार पर यथास्थिति समय-समय पर दी गयी योगदान सूचना के अनुसार ही शासनादेश के अनुरूप विनियमितिकरण सूची तैयार की गयी थी, जिसमें श्री पाण्डे का ज्येष्ठता क्रमाक स्पष्ट रुप से 03 (तीन) पर अंकित है। जल संस्थान द्वारा अपने पत्रांक 2161 दिनांक 02-08-2008 द्वारा जन्म तिथि को आधार मानकर वरिष्ठता को निर्धारित किया गया है जिसमें श्री पाण्डे का नाम कमांक 03 के स्थान पर क्रमांक 09 पर दर्शाया गया है जो कि गलत है। श्री पांडे द्वारा वर्ष 1996 या योगदान सूचना दिनांक से ज्येष्ठता का लाभ नहीं दिया गया, के क्रम में कार्मिक विभाग के शासनोदश 2002 के अनुसार कम संख्या 31 से 40 तक उल्लेखित अभियन्ताओं के ज्येष्ठता क्रमांक में संशोधन कर क्रमांक 33 पर अंकित करने का अनुरोध किया गया है।

श्री विनोद पाण्डेय कनिष्ठ अभियन्ता का विनियमितिकरण मुख्यालय के आदेश दिनांक 24-08-2004 से किया गया। उक्त आदेश में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या-118(एस./बी.)/2002 में पारित अन्तिम निर्णय दिनांक 04-08-2004 के अनुपालन में इनकी ज्येष्ठता का निर्धारण पृथक से किया जायेगा। इनकी पारस्परिक ज्येष्ठता बाद में कार्यालय आदेश दिनांक 02-08-2008 से निर्धारित की गयी। इस अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में क्रम सं. 31 से 40 तक अंकित कनिष्ठ अभियंताओं की सेवाओं का विनियमितीकरण **उत्तरांचल जल संस्थान (उत्तरांचल लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर) (समूह "ग" के पदों पर) दैनिक वेतन नियुक्तियों का विनियमितीकरण विनियम, 2003** के आधीन किया गया।

8– (2) यदि दो या अधिक व्यक्ति एक साथ नियुक्त किये जाए तो उनकी पारस्परिक ज्येष्ठता नियुक्ति के आदेश में उल्लिखित क्रम में अवधारित की जायेगी।

उक्त विनियमावली के अनुसार वर्ष 2004 में दिनांक 17–08–2004 को विनियमित किये गये कनिष्ठ अभियंता विनियम 7(1) के प्राविधान के अनुसार दिनांक 17–08–2004 से ही ज्येष्ठता पायेंगे अतः श्री विनोद पाण्डेय की आपत्ति कि उन्हें 1996 से ज्येष्ठता का लाभ दिया जाए स्वीकार योग्य नहीं है। कार्यालय मुख्य महाप्रबन्धक उत्तराखण्ड जल संस्थान के कार्यालय आदेश संख्या 2161/कार्मिक/01/ज्येष्ठता(क.अभि.)/2008–09 दिनांक 02–08–2008 को निरस्त मानते हुये पारस्परिक ज्येष्ठता नियुक्ति आदेश में उल्लिखित क्रम में अवधारित कर दी गयी है।

7– श्री सुनील कुमार सिंह कनिष्ठ अभियन्ता के आवेदन पत्र दिनांक 27–08–2012 में निम्न बिन्दुओं पर आपत्ति की है:–

बिन्दु 1– उनकी तकनीकी योग्यता डिप्लोमा सिविल इन्जिनियरिंग एवं ए0एम0आई0ई0 सिविल इन्जिनियरिंग है। अतः इनकी अतिरिक्त तकनीकी योग्यता ए0एम0आई0ई0 अंकित करने का अनुरोध किया है। उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर इनकी अतिरिक्त तकनीकी योग्यता ए0एम0आई0ई0 अंकित कर दी गयी है।

बिन्दु 2– श्री सिंह के कार्यभार ग्रहण करने के बाद आने वाले अभियन्ताओं को तथा संविलियन के बाद आने वाले अभियन्ताओं का स्थान इनके बाद आना चाहिए इस त्रुटि को भी दूर करने का अनुरोध किया है।

ज्येष्ठता लोक सेवा आयोग द्वारा अवधारित पारस्परिक ज्येष्ठता के आधार पर की गयी है। लोक सेवा आयोग से प्रथम चयन संस्तुति दिनांक 26–09–2011 तथा संशोधित चयन संस्तुति दिनांक 12–03–2012 से प्राप्त हुयी। उत्तराखण्ड जल संस्थान अभियंत्रण सेवा नियमावली, 2011 के प्राविधानों के अन्तर्गत अरुणांचल प्रदेश से प्रतिनियुक्ति पर उत्तराखण्ड जल संस्थान में तैनात कनिष्ठ अभियंताओं की सीधी भर्ती के रिक्त पदों के विरुद्ध संविलियन शासनादेश दिनांक 10–05–2012 से प्राप्त स्वीकृति के अर्न्तगत किया गया। इस संविलियन आदेश में यह व्यवस्था दी गयी कि इनकी ज्येष्ठता वर्तमान में कार्यरत कनिष्ठ अभियन्ताओं की सूची में सबसे नीचे निर्धारित होगी। अतः इनकी ज्येष्ठता सबसे नीचे श्री हेमन्त पठोई के बाद कर दी गयी है।

8– श्री बली राम चौधरी, श्री राकेश कुमार वर्मा, श्री भूपेन्द्र सिंह, श्री एस0सी0 जुयाल, श्री अरूण विक्रम सिंह, श्री आनन्द मोहन कंसल, श्री विनीत रावत कनिष्ठ अभियन्ताओं ने एक समान निम्न आपत्ति की गयी है:–

बिन्दु 1– आपत्ति की गयी है कि अनन्तिम सूची किसी सक्षम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित नहीं है, अतः इसे विश्वास योग्य नहीं माना जा सकता और न ही क्रियान्वित किया जा सकता है।

उत्तराखण्ड जल संस्थान अभियन्त्रण सेवा नियमावली, 2011 के नियम 33 में यह प्राविधान है कि सरकार इस नियमावली के अधीन अपनी शक्तियों को मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान को प्रत्यायोजित कर सकती है। शासनादेश संख्या–833/उन्नीस(1)/2012–(43अधि0)/2001 पेयजल अनुभाग–1 देहरादून दिनांक 14 अगस्त, 2012 से मुख्य महाप्रबन्धक को वरिष्ठता निर्धारण करने के आदेश प्राप्त हैं। इन आदेशों के अनुपालन में उत्तराखंड जल संस्थान के पत्र दिनांक 14–08–2012 से ज्येष्ठता सूची प्रसारित है तथा ज्येष्ठता सूची पर सचिव प्रशासन के हस्ताक्षर हैं, जिसे सक्षम अधिकारी माना जायेगा। अतः आपत्ति बलहीन होने के कारण निरस्त कर दी गयी है।

बिन्दु 2– आपत्ति की गयी है कि अनन्तिम ज्येष्ठता सूची किस नियमावली के अन्तर्गत तैयार की गयी है, इस सूची में अंकित नहीं किया गया है तथा नियमानुकूल कार्यवाही न करना किसी भी प्रकार से सेवा विधि में अनुमन्य नहीं है। इस प्रकार उपरोक्त अनन्तिम वरिष्ठता सूची मनमाने ढंग से तैयार की गयी है, जो विधि मान्य नहीं है तथा इसके पुनरावलोकन की आवश्यकता है।

यह अनन्तिम ज्येष्ठता सूची उत्तराखण्ड जल संस्थान अभियन्त्रण सेवा नियमावली, 2011 के नियम 24 के अन्तर्गत तैयार की गयी है। आपत्ति बलहीन होने के कारण निरस्त कर दी गयी है।

बिन्दु 3– आपत्ति की गयी है कि इस सूची में विभिन्न सेवा कैडर के कनिष्ठ अभियन्ताओं को एक साथ सम्मिलित किया गया है, जैसे तत्कालीन उत्तर प्रदेश हिल सब कैडर में नियुक्त, उत्तर प्रदेश मैदानी कैडर में नियुक्त, उत्तर प्रदेश में नियमित रूप से नियुक्त एवं उत्तर प्रदेश में तदर्थ रूप से नियुक्त कनिष्ठ अभियन्ता। इस वरिष्ठता सूची से स्पष्ट नहीं है कि इस विभिन्न कैडर/स्टेटस के कनिष्ठ अभियन्ताओं को किस नियम, व्यवस्था अथवा आधार पर वरिष्ठता प्रदान की गयी है। वास्तविकता यह है वरिष्ठता हेतु अपात्र कनिष्ठ अभियन्ताओं को भी वरिष्ठता सूची में सम्मिलित किया गया है। जिसका विवरण इस प्रतिवेदन में सप्रमाण आगे अंकित किया गया है। अपात्र अभियन्ताओं को पात्र अभियन्ताओं से वरिष्ठ दिखाया गया है, जो अनुचित हीं नहीं अवैधानिक एवं भेदभाव पूर्ण भी है। उपरोक्त सूची के पुनरावलोकन की आवश्यकता है।

यह अनन्तिम ज्येष्ठता सूची उत्तराखण्ड जल संस्थान अभियन्त्रण सेवा नियमावली, 2011 के नियम 24 के अन्तर्गत तैयार की गयी है। आपत्ति संबंधी कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है अतः आपत्ति बलहीन होने के कारण निरस्त कर दी गयी है।

बिन्दु 4– आपत्ति की गयी है कि इस सूची में नियुक्ति की तिथि अस्पष्ट एवं गुमराह करने के उद्देश्य से लिखी गयी है तथा इस शब्दावली के अन्तर्गत सभी प्रकार की नियुक्तियां जैसे तदर्थ, अस्थायी एवं काम चलाऊ नियुक्ति भी सम्मिलित की गयी है, जो विधि विरूद्ध है। वरिष्ठता सूची में केवल उन कनिष्ठ अभियन्ताओं को शामिल किया जा सकता है, जिनकी मौलिक नियुक्ति नियमानुसार की गयी है जो तदर्थ न हो अथवा जिनकी नियुक्ति हो नियमानुसार नियमित कर दिया गया हो। लेकिन उपरोक्त सूची मे तदर्थ एवं अनाधिकृत रूप से कार्यरत कनिष्ठ अभियन्ताओं को शामिल किया गया है तथा उन्हें नियमित कनिष्ठ अभियन्ताओं से वरिष्ठ दिखाया गया है, जो विधि विरूद्ध है। नियम विरूद्ध वरिष्ठता सूची में शामिल ऐसे कनिष्ठ अभियन्ताओं का विवरण आगे इस प्रतिवेदन में अंकित किया गया है।

नियुक्ति की तिथि पूर्णतः स्पष्ट तथा नियमों के अनुसार है। शेष आपत्ति संबंधी कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है अतः आपत्ति बलहीन होने के कारण निरस्त कर दी गयी है।

बिन्दु 5– आपत्ति की गयी है कि उत्तर प्रदेश पालिका एवं जल संस्थान वाटर वर्क्स इंजीनियरिंग (केन्द्रीय) सेवा नियमावली, 1996 उत्तराखण्ड राज्य में लागू है, लेकिन उपरोक्त वरिष्ठता सूची का गठन नियमावली 1996 के नियम 23, 26 एवं 44 का अतिक्रमण कर किया गया है। वास्तविकता यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य में प्रसारित एवं प्रचलित वरिष्ठता सूचियों को मध्यनजर नहीं रखा गया है तथा कुछ कनिष्ठ अभियन्ताओं को अनाधिकृत लाभ पहुंचाने के लिए वरिष्ठता सूची में शामिल किया गया है तथा उनको नियम विरूद्ध वरिष्ठता का स्तर प्रदान किया गया है।

अब उत्तराखण्ड जल संस्थान अभियंत्रण सेवा नियमावली, 2011 प्रभावी है तथा इस नियमावली से इस विषय में विद्यमान समस्त आदेशों एवं नियमों का अतिक्रमण कर दिया गया है अतः आपत्ति में जिस सेवा निमयावली 1996 का उल्लेख किया गया है वह अब अप्रभावी है। अन्य कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है अतः आपत्ति बलहीन होने के कारण निरस्त कर दी गयी है।

बिन्दु 6– आपत्ति की गयी है कि उत्तर प्रदेश के मैदानी उप संवर्ग के कनिष्ठ अभियन्ताओं, जिनको उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय निदेशालय उत्तर प्रदेश से उत्तराखण्ड राज्य के जल संस्थान में योगदान देने हेतु कार्यमुक्त नहीं किया गया, को भी उपरोक्त वरिष्ठता सूची में स्थान प्रदान किया गया है, जो नियम विरूद्ध है। ऐसे नामों की सूची आगे इस प्रतिवेदन में अंकित की गयी है।

उत्तराखण्ड शासन के आदेश संख्याः 833 / उन्तीस(1) / 2012–(43पे0.) / 2001 दिनांक 14 अगस्त, 2012 से ऐसे कनिष्ठ अभियंता जिन्हें उत्तराखण्ड जल संस्थान संवर्ग की सेवायें आवंटित नहीं थी, को उत्तराखण्ड जल संस्थान संवर्ग की सेवायें आवंटित की गयी तथा उनकी ज्येष्ठता मौलिक नियुक्ति की तिथि से निर्धारित करने के आदेश प्रदान किये गये। अतः आपत्ति बलहीन होने के कारण निरस्त कर दी गयी है।

बिन्दु 7– आपत्ति की गयी है कि उत्तर प्रदेश में मैदानी क्षेत्र मे नियुक्त कनिष्ठ अभियन्ताओं, जो काम चलाऊ व्यवस्था के अन्तर्गत वर्तमान में उत्तराखण्ड राज्य के पर्वतीय जिलों में कार्यरत थे तथा जो उत्तरांचल बनने के बाद उत्तरांचल राज्य के कर्मचारी के रूप में कार्यरत रहने के इच्छुक थे तथा तदर्थ रूप से सीमित अवधि के लिए उत्तर प्रदेश के मैदानी संवर्ग के कनिष्ठ अभियन्ता के रूप मे कार्यरत थे तथा जिनकी कार्यरत रहने की अवधि को उत्तर प्रदेश राज्य ने कभी आगे बढाया नहीं था और न ही उनकी सेवाओं को नियमित किया गया था, उनको उपरोक्त वरिष्ठता सूची में शामिल किया गया है, जो नियम विरूद्ध है तथा यह सूची इस सीमा तक मान्य नहीं है तथा संशोधित की जानी चाहिए।

उत्तराखण्ड शासन के आदेश संख्या 833/उन्तीस(1)/2012-(43पे0)/2001 दिनांक 14-08-2012 से ऐसे कनिष्ठ अभियंता जिन्हें उत्तराखण्ड जल संस्थान संवर्ग की सेवायें आवंटित नही थी, को उत्तराखण्ड जल संस्थान संवर्ग की सेवायें आवंटित की गयी तथा उनकी ज्येष्ठता मौलिक नियुक्ति की तिथि से निर्धारित करने के आदेश प्रदान किये गये। निदेशक, स्थानीय निकाय उत्तर प्रदेश के आदेश संख्याः 5/3379-अपठित/66-ज्येष्ठता सूची अ.अ.(जल) /93 दिनांक 03 जनवरी, 2008 से उत्तर प्रदेश पालिका और जल संस्थान जलकल अभियंत्रण(केन्द्रीयित) सेवा के अवर अभियंता(जल) (उत्तराखण्ड जल संस्थान में पदनाम कनिष्ठ अभियंता) की अन्तिम ज्येष्ठता सूची जारी है। इस सूची में संदर्भित कनिष्ठ अभियंताओं को जो नियुक्ति की तिथि दी गयी है उसके आधार पर ही ज्येष्ठता निर्धारित की गयी है। उत्तर प्रदेश राज्य ने इसी को मौलिक नियुक्ति की तिथि माना है। इस सूची में श्री रमेन्द्र श्रीवास्तव का नाम अंकित नहीं है। श्री रमेन्द्र श्रीवास्तव को निदेशक स्थानीय निकाय के पत्र संख्या 5/ 691(ए)468-अ.अ.(जल)/विनियमितीकरण/07टी.सी. लखनऊ दिनांक 31 अक्टूबर, 2008 से विनियमित किया गया है। इस विनियमितीकरण आदेशों में यह इंगित किया गया है कि "इस विनियमितीकरण के फलस्वरुप अवर अभियंता की वरिष्ठता प्रभावित नहीं होगी"। श्री रमेन्द्र श्रीवास्तव की नियुक्ति निदेशक स्थानीय निकाय के कार्यालय आदेश संख्या 5/367/462-अ.अभि.(जल)/81 दिनांक 23-05-1990 से की गयी है। मा0 न्यायालय के आदेश दिनांक 18-05-2012 द्वारा भी आदेश पारित हैं कि ज्येष्ठता नियुक्ति की तिथि से दी जाये। श्री रमेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की सेवा पुस्तिका द्वारा भी यह तथ्य उजागर हुआ है कि इनको 1996 से लागू पुनरीक्षित वेतनमान में समयमान वेतनमान के फलस्वरूप कुल 08 वर्ष की अनवरत सेवा पूर्ण करने के उपरान्त दिनांक 29-05-1998 से प्रथम सलेक्शन ग्रेड का लाभ तथा कुल 14 वर्ष की अनवरत सेवा पूर्ण करने के उपरान्त वर्ष 2004 में प्रथम वैयक्तिक पौन्नत वेतनमान का लाभ भी प्रदान किया गया है। अतः मा0 न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्राप्त अभिलेखों के दृष्टिगत नियुक्ति की दिनांक से ज्येष्ठता निर्धारित कर दी गयी है।

बिन्दु 8— आपत्ति की गयी है कि उत्तर प्रदेश राज्य एवं उत्तराखण्ड राज्य के मध्य आपसी समझौते के अन्तर्गत केवल उत्तराखण्ड राज्य में कार्यरत रहने की सहमति प्रदान की गयी है तथा इस समझौते से उनके तदर्थ स्टेटस पर कोई परिवर्तन नहीं होगा और ऐसे कनिष्ठ अभियन्ताओ की वरिष्ठता इस प्रकार निर्धारित होगी। समझौते में निर्धारित नहीं किया गया है। ऐसी परिस्थिति में जिन कनिष्ठ अभियन्ताओं ने प्रथम नियुक्ति के तुरन्त बाद उत्तर प्रदेश पालिका (केन्द्रीयत) सेवा (नियमावली) 1996 के अनुसार उत्तर प्रदेश हिल सब कैडर में सेवा करने का विकल्प नहीं दिया तथा उत्तरांचल/उत्तराखण्ड राज्य बनने के बाद विकल्प दिया तथा उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा नियमित हो गये थे। उपरोक्त समझौते के अन्तर्गत वरिष्ठता सूची में उत्तरांचल राज्य में पूर्व से नियुक्त कनिष्ठ अभियन्ताओं के नीचे लगेंगे तथा इस आशय का पूर्व में नीतिगत निर्णय उत्तराखण्ड शासन के आदेश संख्या—163 दिनांक 11—02—2011 द्वारा लिया जा चुका है। इस नीतिगत निर्णय दिनांक 11—02—2011 से सभी कनिष्ठ अभियन्ताओं को सूचित भी किया जा चुका है। यह नीतिगत आदेश यथावत लागू है तथा इस नीतिगत निर्णय को किसी सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त भी नहीं किया गया है, लेकिन उपरोक्त नीति निर्धारक शासनादेश 11—02—2011 का उल्लंघन कर उपरोक्त वरिष्ठता सूची तैयार की गयी है। यह वरिष्ठता सूची दिनांक 14—08—2012 मुझे मान्य नहीं है तथा इसमें संशोधन की आवश्यकता है। उपरोक्त नीतिगत निर्णय के उल्लंघन द्वारा जिन कनिष्ठ अभियन्ताओं की वरिष्ठता निर्धारण की गयी है, उनका विवरण आगे इस प्रतिवेदन में अंकित किया गया है।

उत्तराखण्ड शासन के आदेश संख्याः 833/उन्तीस(1)/2012—(43अधि.)/2002 दिनांक 14 अगस्त, 2012 से ऐसे कनिष्ठ अभियंता जिन्हें उत्तराखण्ड जल संस्थान संवर्ग की सेवायें आवंटित नहीं थी को उत्तराखण्ड जल संस्थान संवर्ग की सेवायें आंवटित की गयी तथा उनकी ज्येष्ठता मौलिक नियुक्ति की तिथि से निर्धारित करने के आदेश प्रदान किये गये। इस आदेशों से पूर्व में इस संबंध में किये गये आदेश स्वतः निरस्त हो जाते है। अतः आपत्ति निरस्त कर दी गयी है।

बिन्दु 9— आपत्ति की गयी है कि माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल के द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27—02—2012 एवं 04—04—2012 के द्वारा उत्तर प्रदेश मैदानी संवर्ग के उन कनिष्ठ अभियन्ताओं जो काम चलाऊ व्यवस्था के अन्तर्गत उत्तराखण्ड के जिलों में कार्यरत थे, के स्तर/स्टेटस जैसे अस्थायी, तदर्थ एवं प्रोवेशनर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तथा ऐसे कनिष्ठ अभियन्ताओं का सेवा स्तर/स्टेटस वही रहेगा, जो उनको उत्तरांचल सृजन की तिथि 09—11—2000 को प्राप्त था। 09—11—2000 को उत्तरांचल राज्य में कार्यरत ऐसे अभियन्ताओं का स्टेटस अस्थायी तदर्थ एवं प्रोबेशनर का था तथा कालान्तर में

उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है और न ही उनकी सेवाओं का स्थायीकरण अथवा नियमतीकरण उत्तर प्रदेश अथवा उत्तराखण्ड शासन द्वारा किया गया तथा न ही उत्तराखण्ड सरकार उस अवधि का नियमतीकरण कर सकती है जब उत्तराखण्ड राज्य अस्तित्व में ही नहीं था। उत्तराखण्ड शासन के आदेश सं0-833/उन्तीस(1)/ 2012-(43पे0)/2001 दिनांक 14-08-2012 द्वारा भी कनिष्ठ अभियन्ताओं की वरिष्ठता उनकी मौलिक नियुक्ति की तिथि से निर्धारित करने के आदेश प्रसारित किये हैं। ऐसे कनिष्ठ अभियन्ताओं को जो पूर्णरूप से अस्थायी/तदर्थ एवं प्रोबेशन पर कार्यरत है। उपरोक्त वरिष्ठता सूची में शामिल करना अवैधानिक एवं नियमों के विरूद्ध है तथा उनके नामों को उपरोक्त वरिष्ठता सूची दिनांक 14-08-2012 में से हटाने की आवश्यकता है।

उक्त आपत्ति का निराकरण पूर्व में कर दिया गया है।

बिन्दु 10— आपत्ति की गयी है कि माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल में दायर जिन याचिकाओं में उपरोक्त आदेश दिनांक 27-02-2012 एवं 04-04-2012 पारित किया गया है, में प्रार्थी को पक्षकार नहीं बनाया गया है तथा मुझ पर यह निर्णय लागू नहीं होता है तथा यह निर्णय सर्वबन्धक भी नहीं है। याचिकाकर्ताओं को वरिष्ठता सूची में मुझसे ऊपर स्थान नहीं दिया जा सकता है। वरिष्ठता सूची में कनिष्ठ अभियन्ताओं के वर्तमान सेवा स्टेटस के अनुसार वरिष्ठता निर्धारित करने की आवश्यकता है, क्योंकि वरिष्ठता सूची में स्थान पाने के लिए कनिष्ठ अभियन्ता का उस पद पर लियन होना अति आवश्यक है, लेकिन अस्थायी, तदर्थ एवं प्रोबेशन पर कार्यरत कनिष्ठ अभियन्ताओं को कनिष्ठ अभियन्ता के पद पर लियन प्राप्त नहीं है। उनको वरिष्ठता प्रदान नहीं की जा सकती है। ऐसे कनिष्ठ अभियन्ताओं, जिनको वरिष्ठता प्रदान नहीं की जा सकती है और न ही वरिष्ठता क्रम में प्रार्थी से ऊपर दिखाया जा सकता है, का विवरण सकारण एवं प्रमाण पत्र सहित निम्न प्रकार हैः-

यहां पर निम्न कनिष्ठ अभियन्ताओं के सम्बन्ध में निम्नानुसार कथन किया गया हैः-

श्री रामकरण वर्मा कनिष्ठ अभियन्ता वरिष्ठता क्रम 12
श्री राकेश कुमार दीक्षित वरिष्ठता क्रम सं0 7
श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा कनिष्ठ अभियन्ता वरिष्ठता क्रम 1
श्री बी0एन0 प्रजापति कनिष्ठ अभियन्ता वरिष्ठता क्रम 2
श्री विरेन्द्र सिंह कनिष्ठ अभियन्ता वरिष्ठता क्रम 15
श्री जयपाल सिंह कनिष्ठ अभियन्ता वरिष्ठता क्रम 14
श्री रमाशंकर कनिष्ठ अभियन्ता वरिष्ठता क्रम 28
श्री विनोद कुमार श्रीवास्तव कनिष्ठ अभियन्ता वरिष्ठता क्रम 24
श्री कृष्ण पाल सिंह कनिष्ठ अभियन्ता वरिष्ठता क्रम 4
श्री मदन सैन कनिष्ठ अभियन्ता वरिष्ठता क्रम 22
श्री शिव कुमार राय कनिष्ठ अभियन्ता वरिष्ठता क्रम 21

श्री शिशु पाल सिंह कनिष्ठ अभियन्ता वरिष्ठता क्रम 25
श्री रमेन्द्र कुमार श्रीवास्तव कनिष्ठ अभियन्ता वरिष्ठता क्रम 20
श्री संजय कुमार श्रीवास्तव कनिष्ठ अभियन्ता वरिष्ठता क्रम 23
श्री राकेश कुमार कनिष्ठ अभियन्ता वरिष्ठता क्रम 26
श्री अरूण कुमार कनिष्ठ अभियन्ता वरिष्ठता क्रम 27
श्री राकेश कुमार निर्वाल कनिष्ठ अभियन्ता वरिष्ठता क्रम 30

कथन किया गया है कि इनकी नियुक्ति उत्तर प्रदेश में या तो उ0प्र0 पालिका केन्द्रीयत सेवा नियमावली 1996 के नियम 31 तथा 42 के अधीन एक वर्ष के लिए तदर्थ एवं अस्थायी रूप से की गयी थी अथवा पूर्णतया अस्थायी एवं तदर्थ रूप से की गयी थी तथा इस तदर्थ एवं अस्थायी नियुक्ति को उत्तर प्रदेश राज्य में बढाया नहीं गया तथा आज भी इन्हें तदर्थ एवं अस्थायी सेवा स्तर प्राप्त है। इस स्तर के कनिष्ठ अभियन्ता को वरिष्ठता सूची में शामिल नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह सेवा के सदस्य नहीं है। उत्तराखण्ड शासन के आदेश सं0–767 / उन्तीस(1) / 2011–(43पे0)2001 दिनांक 27–06–2011 (प्रतिलिपि संलग्न) के द्वारा उपरोक्त तथ्य स्वीकार किये गये हैं तथा इस आदेश द्वारा श्री वर्मा को उत्तराखण्ड राज्य आवंटित न करने का निर्णय भी पूर्व में लिया जा चुका है।

उक्त आपत्ति का निराकरण प्रस्तर–8 के बिन्दु–7 पर कर दिया गया है।

आपत्ति की गयी है कि श्री सत्यवान सिंह रावत को उत्तराखण्ड शासन ने 24–05–2011 से उत्तराखण्ड जल संस्थान संवर्ग आवंटित किया तथा यह आवंटन उनके द्वारा कैडर की वरिष्ठता सूची में नीचे रखे जाने की सहमति के आधार पर किया गया है। यह माननीय उच्च न्यायालय में दायर किसी याचिका में पक्षकार भी नहीं है, अतः इन्हें माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 27–02–2012 या दिनांक 04–04–2012 का लाभ प्राप्त नहीं है तथा इन्हें ऊपर वरिष्ठता प्रदान नहीं की जा सकती।

श्री सत्यवान सिंह रावत को 833 / उन्तीस(1) / 2012–(43पे0) / 2001 दिनांक 14–08–2012 से इनकी मौलिक नियुक्ति की दिनांक से ज्येष्ठता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है, अतः इनकी ज्येष्ठता उचित स्थान पर निर्धारित की गयी है। अतः आपत्ति बलहीन होने के कारण निरस्त कर दी गयी है।

उपरोक्त कनिष्ठ अभियंताओं में से श्री राकेश कुमार वर्मा ने आपत्ति की है कि अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में उनकी तकनीकी योग्यता मात्र डिप्लोमा दर्शायी गयी है जबकि उनकी तकनीकी शिक्षा मेकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री है तदनुसार संशोधन किया जाए।

उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर श्री राकेश कुमार वर्मा की अतिरिक्त तकनीकी योग्यता बी0टेक (वि0 / या0) अंकित कर दी है।

9— श्री अरुण विक्रम सिंह रावत द्वारा आपत्ति की गयी है कि सूची में उनकी योग्यता डिप्लोमा दर्शायी गयी है जबकि इनके द्वारा बी0ई0 की डिग्री भी हासिल की गयी है।

ज्येष्ठता सूची में चयन के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता ही अंकित की जाती है। अतः उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर श्री अरुण विक्रम सिंह रावत की अतिरिक्त तकनीकी योग्यता बी0ई0 (सिविल) कर दी गयी है।

10— श्री अरुण कुमार कनिष्ठ अभियन्ता उत्तराखण्ड जल संस्थान अल्मोड़ा ने अपने पत्र दिनांक 27–08–2012 द्वारा अवगत कराया है कि वरिष्ठता सूची में उनका नाम क्रमांक 19 पर अंकित है एवं श्री मदन सैन वर्मा व श्री राकेश कुमार का नाम कमशः कमांक 29 व 30 पर अंकित है जबकि जलसंस्थान के पत्र दिनांक 14–08–2012 के द्वारा जारी सूची में प्रार्थी का नाम क्रमांक 27 पर व श्री मदन सैन एवं राकेश कुमार का नाम 22 व 26 क्रमांक पर अंकित है अतः ज्येष्ठता सूची तद्नुसार संशोधित की जाए।

उपलब्ध कराया गया साक्ष्य पत्र संख्या–5/621 सा0/59–अ0अ0(जल)/नियुक्ति/93 दिनांक 10–08–1998 नियुक्ति आदेश है तथा इस आदेश में यह अंकित है कि "उपरोक्त अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता वही रहेगी, जो लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश द्वारा वरिष्ठताक्रम के अनुसार निर्धारित की गयी है। जबकि इन कनिष्ठ अभियन्ताओं की वरिष्ठता निदेशक स्थानीय निकाय उत्तर प्रदेश आठवां तल इन्द्रा भवन लखनऊ के आदेश संख्या 5/3379–ग/66–ज्ये0 सूची अ0अभि0(जल)/93 दिनांक 03–01–2008 से जारी अन्तिम ज्येष्ठता सूची के अनुसार निर्धारित की गयी है अतः इनके प्रत्यावेदन में बल न होने के कारण निरस्त किया जाता है।

11— श्री जुनैद अहमद, श्री अजय सैनी, श्री अनिल नेगी, श्री भगत सिंह रावत, श्री मनोज डबराल कनिष्ठ अभियन्ताओं ने 3 बिन्दुओं पर एक समान आपत्ति प्रेषित की है:–

बिन्दु 1— जारी अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में सेवा संविलियन आदेश दिनांक 22–05–2012 द्वारा उत्तराखण्ड जल संस्थान में सम्मिलित कनिष्ठ अभियन्ताओं को लोक सेवा आयोग के माध्यम से चयन वर्ष 2011 में चयनित कनिष्ठ अभियन्ताओं के साथ 1:1 के अनुपात में रखा गया है, जबकि चयन वर्ष 2011 में चयनित कनिष्ठ अभियन्ताओं का विभाग में चयन संविलियन आदेश से लगभग एक वर्ष पूर्व हो चुका था। इस प्रकार सेवा संविलियन आदेश दिनांक 22–05–2012 द्वारा संविलियन कनिष्ठ अभियन्ताओं को चयन वर्ष 2011 में चयनित कनिष्ठ अभियन्ताओं के पश्चात रखा जाए।

लोक सेवा आयोग से प्रथम चयन संस्तुति पत्रांक 1662/04/ई–2/2005–06 दिनांक 26–09–2011 तथा संशोधित चयन संस्तुति पत्रांक 3195/04/ई–2/2005–06 दिनांक 12–03–2012 से प्राप्त हुयी। उत्तराखण्ड

जल संस्थान अभियंत्रण सेवा नियमावली, 2011 के प्राविधानों के अन्तर्गत अरुणाचल प्रदेश से प्रतिनियुक्ति पर उत्तराखण्ड जल संस्थान में तैनात कनिष्ठ अभियंताओं की सीधी भर्ती के रिक्त पदों के विरुद्ध संविलियन शासनादेश संख्या 452/उन्तीस(1)/12/(313अधि.)/2005 दिनांक 10-05-2012 से प्राप्त स्वीकृति के अन्तर्गत किया गया। इस संविलियन आदेश में यह व्यवस्था दी गयी कि इनकी ज्येष्ठता वर्तमान में कार्यरत कनिष्ठ अभियन्ताओं की सूची में सबसे नीचे निर्धारित होगी। अतः इनकी ज्येष्ठता सबसे नीचे श्री हेमन्त पठोई के बाद कर दी गयी है।

बिन्दु 2– लोक सेवा आयोग द्वारा जारी परिणाम में कनिष्ठ अभियन्ता(सिविल) एवं कनिष्ठ अभियन्ता(विद्युत/यांत्रिक) का परीक्षा परिणाम एक ही तिथि में पृथक पृथक रूप से जारी किया गया था। इसके बावजूद कनिष्ठ अभियन्ता(विद्युत/यांत्रिक) का ज्येष्ठता निर्धारण कनिष्ठ अभियन्ता सिविल से ऊपर किया गया है। इसका भी औचित्य पूर्ण निराकरण करवाने के उपरान्त ही ज्येष्ठता सूची का निर्धारण किया जाए।

उत्तराखण्ड जल संस्थान अभियंत्रण सेवा नियमावली, 2011 के अनुसार विभाग में कनिष्ठ अभियंता के पद सृजित हैं न कि कनिष्ठ अभियंता (सिविल) और (विद्युत एवं यांत्रिक) तथा सहायक अभियंता के पद भी संयुक्त हैं न कि (सिविल) और (विद्युत एवं यांत्रिक), पदोन्नति हेतु भी पृथक-पृथक ज्येष्ठता सूची बनाये जाने का प्राविधान नहीं है लोक सेवा आयोग द्वारा पत्र संख्या 102 दिनांक 24 मई, 2012 से उत्तराखण्ड जल संस्थान के लिए चयनित कनिष्ठ अभियंता(सिविल) एवं कनिष्ठ अभियंता(विद्युत एवं यांत्रिक) की सामूहिक पारस्परिक ज्येष्ठता सूचित की गयी है इसी के आधार पर ज्येष्ठता निर्धारित की गयी है। अतः आपत्ति बलहीन होने के कारण निरस्त कर दी गयी है।

बिन्दु 3– अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में ऐसे कनिष्ठ अभिन्ताओं का नाम हटाये जाने का अनुरोध किया है जिनके द्वारा विभाग में अभी तक योगदान आख्या प्रस्तुत नहीं की गयी है अथवा वर्तमान समय में विभाग में कार्यरत नहीं हैं।

ज्येष्ठता सूची में ऐसे किसी कनिष्ठ अभियंता का नाम अंकित नहीं है जिसे नियुक्ति प्रदान नहीं की गयी है अतः आपत्ति बलहीन होने के कारण निरस्त कर दी गयी है।

12– श्री मुकेश कुमार सक्सैना कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा अपने पत्र दिनांक 24-08-2012 निम्न आपत्ति की है:–

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के पत्र दिनांक 10-02-2012 द्वारा प्रकाशित उत्तराखण्ड जल संस्थान हेतु चयनित सफल अभ्यर्थियों के ज्येष्ठता क्रम के अनुसार इनकी क्रम संख्या 10 है। इस आधार पर उक्त सूची मे कार्यरत कनिष्ठ अभियन्ताओं में इनका ज्येष्ठता क्रमांक 65 अंकित होना चाहिए।

उपलब्ध कराया गया साक्ष्य कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) की ज्येष्ठता क्रम का है। उत्तराखण्ड जल संस्थान में कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) तथा कनिष्ठ अभियन्ता (विद्युत/यान्त्रिक) के पद की ज्येष्ठता प्रथक प्रथक न होकर संयुक्त है, तथा लोक सेवा आयोग द्वारा पत्र दिनांक 24 मई, 2012 से संयुक्त संकलित श्रेष्ठता क्रम सूचित की गयी है। तद्नुसार ज्येष्ठता प्रदान की गयी है अतः आपत्ति बलहीन होने के कारण निरस्त कर दी गयी है।

13— श्री ललित मोहन पाण्डे कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा अपने पत्र दिनांक 12—09—2012 निम्न बिन्दुओं पर आपत्ति की है:—

बिन्दु 1— प्रार्थी का चयन वर्ष 2005 दर्शाया गया है जबकि उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा प्रार्थी का चयन ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग हेतु मई 2004 में किया गया था, कतिपय कारणों से शासन द्वारा आयोग से चयनित अभियन्ताओं को उत्तराखण्ड जल संस्थान में नियुक्त किया गया था अतः प्रार्थी का चयन वर्ष मई 2004 मानते हुए ज्येष्ठता क्रम में दिनांक 17—08—2004 में नियुक्त अभियन्ताओं (जो कि सूची में क्रम सं0 30 से 40 तक, से ऊपर रखा जाए।)

श्री ललित मोहन पाण्डेय का चयन ग्रामीण अभियंत्रण सेवा हेतु किया गया था किन्तु ग्रामीण अभियंत्रण सेवा में पद रिक्त न होने के कारण शासनादेश संख्या 3324 दिनांक 21 दिसम्बर, 2005 के अनुपालन में इनकी नियुक्ति इनकी सहमति के उपरांत उत्तराखण्ड जल संस्थान में की गयी। इस प्रकार उत्तराखण्ड जल संस्थान के लिए इनका चयन वर्ष 2005—06 मानते हुए ज्येष्ठता निर्धारित की गयी है। जबकि उत्तराखण्ड जल संस्थान मे संहत वेतन पर कार्यरत कनिष्ठ अभियंताओं का विनियमितिकरण शासनादेश संख्या 1436 दिनांक 09 जून, 2004 के अनुपालन में किया गया। अतः इनकी ज्येष्ठता तद्नुसार निर्धारित की गयी। अतः आपत्ति बलहीन होने के कारण निरस्त कर दी गयी है।

बिन्दु 2— उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा ग्राम्य विकास विभाग/शहरी विकास विभाग एवं ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग हेतु चयनित कनिष्ठ अभियन्ताओं की प्राप्तांकों के आधार पर श्रेष्ठता क्रम में पत्र संख्या 323/कार्मिक/01/पारस्परिक ज्येष्ठता(क0अभि0)/58/2011—12 दिनांक 18—04—2011 के द्वारा पारस्परिक ज्येष्ठता सूची का निर्गमन किया गया था किन्तु इसके पश्चात किन कारणों से विभागीय कनिष्ठ अभियन्ताओं की संयुक्त सूची का निर्गमन नहीं किया गया जबकि प्रार्थी के साथ आयोग द्वारा चयनित कनिष्ठ अभियन्ता श्री अशोक कुमार, श्री मनोज कुमार, श्री राजेन्द्र पाल एवं श्री अवधेश कुमार को इस सूची निर्गमन से पूर्व ही शासनादेश संख्या 288 दिनांक 11—03—2011 के द्वारा प्रोन्नत दर्शित किया गया है। प्रार्थी से ज्येष्ठता क्रम में नीचे होने पर भी उक्त अभियन्ताओं के सहायक अभियन्ता के पद पर प्रोन्नत होने से वह ज्येष्ठ हो गये हैं इन अभियन्ताओं के कनिष्ठ अभियन्ता से सहायक अभियन्ता के पद पर चयन से पूर्व की विभागीय कनिष्ठ अभियन्ताओं की पारस्परिक ज्येष्ठता सूची उपलब्ध करायी जाये।

श्री अशोक कुमार, श्री मनोज कुमार, श्री राजेन्द्र पाल एवं श्री अवधेश कुमार आरक्षित पदों के विरुद्ध पदोन्नत किये गये। अतः आपत्ति बलहीन होने के कारण निरस्त कर दी गयी है।

बिन्दु 3– जल संस्थान के पत्र संख्या दिनांक 14–08–2012 से निर्गत कनिष्ठ अभियन्ताओं की ज्येष्ठता सूची में माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा पारित निर्णय के कम में उत्तर प्रदेश संवर्ग के 18 अभियन्ताओं को ज्येष्ठता सूची में कम संख्या 01 से 30 के मध्य दर्शाया गया है। माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय को आयोग द्वारा चयनित कनिष्ठ अभियन्ताओं के हितों के परिपेक्ष में सम्भवतः अलग दृष्टिकोण पढा जा रहा हो। अतः इनकी ज्येष्ठता स्वीकार करने से पूर्व प्रार्थी को माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल के आदेश की प्रति उपलब्ध करायी जाये अथवा सुलभ सन्दर्भ हेतु विभागीय वैबसाईट पर उपलब्ध करायी जाये जिससे प्रार्थी न्यायालय के आदेश को पढ़ कर उसका परीक्षण कर व्यक्तिगत स्तर से भी संतुष्ट हो सके। कोई आपत्ति नहीं की गयी अतः यह बिन्दु स्वीकार्य नहीं है।

बिन्दु 4– उत्तर प्रदेश संवर्ग के जिन 18 कनिष्ठ अभियन्ताओं को माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के कम में उत्तराखण्ड जल संस्थान संवर्ग आबंटित किया गया है प्रार्थी की जानकारी के अनुसार अभी तक विभाग में उनका नियमितिकरण/विनियमितीकरण नहीं किया गया है फिर भी उन्हें श्रेष्ठता कम में सबसे ऊपर मानते हुये ज्येष्ठता प्रदान की गयी है जो कि उचित एवं न्याय संगत प्रतीत नहीं हो रहा है।

उक्त आपत्ति का निराकरण प्रस्तर–8 के बिन्दु–7 पर कर दिया गया है।

बिन्दु 5– उत्तर प्रदेश संवर्ग के 18 कनिष्ठ अभियन्ताओं की मौलिक नियुक्ति के सम्बन्ध में इनको जानकारी नहीं है सभी अभियन्ताओं की भांति इनके सेवा अभिलेख जल भवन देहरादून मुख्यालय में होंगे अतः प्रार्थी को इन उत्तर प्रदेश संवर्ग के अभियन्ताओं की अस्थाई नियुक्ति एवं कनिष्ठ अभियन्ता के पद पर स्थाई नियुक्ति सम्बन्धी अभिलेख उपलब्ध कराये जाये अथवा सुलभ सन्दर्भ हेतु विभागीय वैबसाईट पर उपलब्ध करायी जाये जिससे प्रार्थी को इनकी वास्तविक मौलिक नियुक्ति की तिथि की जानकारी हो सके। तदोपरान्त ही उक्त ज्येष्ठता सूची स्वीकार्य होगी। विभाग द्वारा उक्त अभिलेखों के विभागीय वैबसाईट पर उपलब्ध कराने से पूर्व प्रार्थी की आपत्ति मानते हुये ज्येष्ठता सूची को अन्तिम रूप प्रदान न किया जाये अन्यथा यह विभाग में कार्यरत सभी अभियन्ताओं के साथ अन्याय होगा।

इस आपत्ति पर आख्या बिन्दु 4 के अनुसार है।

बिन्दु 6— इनकी जानकारी के अनुसार श्री सत्यवान सिंह कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा लोक सेवा आयोग से वर्ष 2004 में चयनित कनिष्ठ अभियन्ताओं की ज्येष्ठता से नीचे के क्रम में रहने पर सहर्ष सहमति प्रदान की गयी थी फिर भी उन्हें ज्येष्ठता कम में 29 न0 पर दर्शाया गया है जबकि इन्हे क्रम सं0 56 पर अंकित करना चाहिये। इसी प्रकार अन्य अभियन्ताओं द्वारा भी सहमति प्रदान की गयी थी, इन तथ्यों को नियमानुसार संज्ञान में लिया जाये।

माननीय न्यायालय ने अपने आदेशों में ऐसे कनिष्ठ अभियंता जिन्हें उत्तराखण्ड जल संस्थान संवर्ग आंवटित नहीं था को उनकी नियुक्ति की दिनांक से ज्येष्ठता प्रदान करने के आदेश दिये तद्नुसार ज्येष्ठता निर्धारित की गयी। शासनादेश संख्या 833 दिनांक 14 अगस्त, 2012 से भी यही निर्णय प्राप्त है कि श्री सत्यवान सिंह को मौलिक नियुक्ति की तिथि से वरिष्ठता निर्धारित की जाए, तद्नुसार ज्येष्ठता प्रदान की गयी।

बिन्दु 7— उत्तर प्रदेश संवर्ग के जिन 18 कनिष्ठ अभियन्ताओं को माननीय उच्च न्यायालय के कम में उत्तराखण्ड जल संस्थान संवर्ग आबंटित होना दर्शाया गया है वह सूची में दर्शित अपनी मौलिक नियुक्ति के आधार पर कई सहायक अभियन्ता के पद पर प्रोन्नत कनिष्ठ अभियन्ताओं से ज्येष्ठ होंगे अतः उन्हे माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल के आदेश के दिनांक से विभाग में वरिष्ठता प्रदान करते हुये ज्येष्ठता कम में सबसे नीचे रखा जाये। जिससे सभी के साथ न्याय हो सके।

माननीय न्यायालय के आदेशों तथा शासनादेश संख्या का पालन किया गया अतः आपत्ति स्वीकार करने योग्य नहीं है।

14— श्री नरेन्द्र सिंह रिखाड़ी पुत्र स्व0 श्री बालादत्त रिखाड़ी कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा निम्न बिन्दुओं पर आपत्ति की है:—

बिन्दु 1— ज्येष्ठता सूची के कम सं0 70 पर दर्शायी गया इनका नाम श्री नरेन्द्र सिंह रिखाड़ी अंकित है जबकि इनका नाम श्री नरेन्द्र कुमार रिखाड़ी है।

उक्त के सम्बन्ध में लोक सेवा आयोग से प्राप्त अभिलेख के अनुसार स्तम्भ संख्या—2 में अंकित इनका नाम श्री नरेन्द्र सिंह रिखाड़ी के स्थान पर श्री नरेद्र कुमार रिखाड़ी कर दिया गया है।

बिन्दु 2— ज्येष्ठता सूची के कम संख्या 70 पर दर्शायी गयी इनकी जन्मतिथि 05—01—1970 है जबकि इनकी जन्मतिथि 28—06—1970 है।

उक्त के सम्बन्ध में लोक सेवा आयोग से प्राप्त अभिलेख के अनुसार स्तम्भ संख्या—3 में अंकित इनकी जन्मतिथि 05—01—1970 के स्थान पर 28—06—1970 अंकित कर दी गई है।

बिन्दु 3– ज्येष्ठता सूची के क्रम सं0 70 पर दर्शायी गया इनका गृह जनपद पौड़ी अंकित है जबकि इनका गृह जनपद अल्मोड़ा है।

उक्त के सम्बन्ध में लोक सेवा आयोग से प्राप्त अभिलेख के अनुसार स्तम्भ संख्या–4 में अंकित इनका गृह जनपद पौड़ी के स्थान पर अल्मोड़ा कर दिया गया है।

बिन्दु 4– लोक सेवा आयोग से अग्रसारित एवं प्रकाशित चयन परिणाम संख्या 156/गोपन/अ0अभि0–2005/2011–12 दिनांक 03–08–2011 के अनुसार श्री नरेन्द्र कुमार रिखाड़ी का नाम क्रम संख्या 64 में अंकित श्री सुमन सिंह के बाद था जबकि मुख्यालय द्वारा निर्गत अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में उनका नाम क्रम संख्या 70 पर अंकित है जो कि इनके नियुक्ति पत्र के क्रम संख्या 05 में अंकित प्रतिबन्ध **"उपरोक्त कनिष्ठ अभियन्ता की पारस्परिक ज्येष्ठता वही रहेगी जो लोक सेवा आयोग उत्तराखण्ड द्वारा वरिष्ठता क्रम के अनुसार निर्धारित की गयी है"** के अनुसार नहीं है।

पारस्परिक ज्येष्ठता लोक सेवा आयोग द्वारा पत्र संख्या 102 दिनांक 24 मई, 2012 से सूचित की गयी है तद्नुसार ज्येष्ठता प्रदान की गयी है अतः आपत्ति बलहीन होने के कारण निरस्त कर दी गयी है।

बिन्दु 5– सूची में प्रकाशित समस्त कनिष्ठ अभियन्ताओं की शैक्षिक योग्यता डिप्लोमा/ ए0एम0आई0ई0/डिग्री दिखा दी गयी है परन्तु उनका तकनीकी ट्रेड जैसे सिविल/विद्युत/यांत्रिक/कम्प्यूटर साइंस/मैकैनीकल इंजी0 नहीं दिया गया है। अर्थात उनका चयन किस तकनीकी पद पर हुआ है यह नहीं दर्शाया गया है।

ट्रेड सम्मिलित कर लिया गया है।

बिन्दु 6– सूची के अनुसार सभी कनिष्ठ अभियन्ताओं की वरिष्ठता सूची एक ही बना दी गयी है जबकि लोक सेवा आयोग द्वारा उत्तराखण्ड को भेजे गये अधियाचन में सिविल, विद्युत/यांत्रिक व कम्प्यूटर साइंस के अलग–अलग पद दर्शाये गये हैं। इसी के क्रम में लोक सेवा आयोग द्वारा भी पदों का विज्ञापन परीक्षा का आयोजन एवं परीक्षा परिणाम अलग–अलग घोषित किया गया था। अतः संयुक्त वरिष्ठता सूची बनाना सही प्रतीत नहीं बताया गया है।

उत्तराखण्ड जल संस्थान अभियंत्रण सेवा नियमावली, 2011 के अनुसार विभाग में कनिष्ठ अभियंता के पद सृजित है न कि कनिष्ठ अभियंता (सिविल) और (विद्युत एवं यांत्रिक) तथा सहायक अभियंता के पद भी संयुक्त है न कि (सिविल) और (विद्युत एवं यांत्रिक), सेवा नियमावली में पृथक–पृथक ज्येष्ठता सूची बनाये जाने का प्राविधान नहीं है अतः आपत्ति बलहीन होने के कारण निरस्त कर दी गयी है।

बिन्दु 7— विभाग द्वारा सहायक अभियन्ता पद हेतु भेजे गये अभियाचन एवं लोक सेवा आयोग द्वारा सहायक अभियन्ता पद की भर्ती हेतु प्रकाशित विज्ञापन में भी सहायक अभियन्ता(सिविल) एवं सहायक अभियन्ता(विद्युत/यांत्रिक) के पद अलग-अलग विज्ञापित किये गये हैं। अतः स्पष्ट है कि विभाग में सहायक अभियन्ता(सिविल) एवं सहायक अभियन्ता(विद्युत/यांत्रिक) के अलग-अलग पद सृजित हैं। फिर कनिष्ठ अभियन्ताओं की संयुक्त ज्येष्ठता सूची बनाने का कोई आधार नहीं है।

उत्तराखण्ड जल संस्थान अभियंत्रण सेवा नियमावली, 2011 के अनुसार विभाग में कनिष्ठ अभियंता के पद सृजित है न कि कनिष्ठ अभियंता (सिविल) और (विद्युत एवं यांत्रिक) तथा सहायक अभियंता के पद भी संयुक्त है न कि (सिविल) और (विद्युत एवं यांत्रिक), लोक सेवा आयोग को जो ट्रेड सूचित किये जाते हैं, वह मात्र चयन के लिए होते हैं। नियुक्ति होने के उपरान्त सेवायें एक ही नियमावली से आच्छादित होती हैं। इस सेवा नियमावली में पृथक-पृथक ज्येष्ठता सूची बनाये जाने का प्राविधान नहीं है अतः आपत्ति बलहीन होने के कारण निरस्त कर दी गयी है।

बिन्दु 8— क्रम संख्या 31 से 40 तक दिखाये गए कनिष्ठ अभियन्ताओं की नियुक्ति 17-08-2004 है। जबकि इस वर्ष किसी भी प्रकार की परीक्षा का आयोजन एवं विज्ञापन विभाग द्वारा नहीं किया गया है। क्योंकि उक्त पद लोक सेवा आयोग की परिधि में आते है अतः इनके चयन का आधार स्पष्ट नहीं है।

उत्तराखण्ड जल संस्थान में संहत वेतन पर कार्यरत कनिष्ठ अभियंताओं का विधिवत विनियमितिकरण 2004 में किया गया। अतः आपत्ति बलहीन होने के कारण निरस्त कर दी गयी है।

बिन्दु 9— क्रम सं0 56, 58, 60 एवं 62 में अंकित कनिष्ठ अभियन्ता का चयन वर्ष सेवा संविलियन आदेश 10-03-2012 दर्शाया गया है एवं उक्त अभ्यर्थियों को चयन वर्ष 2011 में चयनित कनिष्ठ अभियन्ता के साथ एक के बाद एक कर दर्शाया गया है जो कि गलत है। अतः उक्त कनिष्ठ अभियन्ताओं को 2011 में चयनित कनिष्ठ अभियन्ताओं से वरिष्ठ अथवा कनिष्ठ की श्रेणी में शामिल किया जाए।

लोक सेवा आयोग से प्रथम चयन संस्तुति पत्रांक 1662/04/ई-2/2005-06 दिनांक 26-09-2011 तथा संशोधित चयन संस्तुति पत्रांक 3195/04/ई-2/2005-06 दिनांक 12-03-2012 से प्राप्त हुयी। उत्तराखण्ड जल संस्थान अभियंत्रण सेवा नियमावली, 2011 के प्रावधानों के अन्तर्गत अरुणांचल प्रदेश से प्रतिनियुक्ति पर उत्तराखण्ड जल संस्थान में तैनात कनिष्ठ अभियंताओं की सीधी भर्ती के रिक्त पदों के विरुद्ध संविलियन शासनादेश संख्या 452/उन्तीस(1)/12/(31अधि.)/2005 दिनांक 10-05-2012 से प्राप्त स्वीकृति के अन्तर्गत किया गया। इस संविलियन आदेश में यह व्यवस्था दी गयी कि

इनकी ज्येष्ठता वर्तमान में कार्यरत कनिष्ठ अभियन्ताओं की सूची में सबसे नीचे निर्धारित होगी। अतः इनकी ज्येष्ठता सबसे नीचे श्री हेमन्त पठोई के बाद रखी गई है।

बिन्दु 10— लोक सेवा आयोग की परिधि के पद हैं अतः लोक सेवा आयोग से चयनित कनिष्ठ अभियन्ता एवं विभागीय चयनित कनिष्ठ अभियन्ता की सूची पृथक–पृथक ट्रेड के अनुसार बनायी जाए।

समस्त कनिष्ठ अभियंता उत्तराखण्ड जल संस्थान अभियंत्रण सेवा नियमावली, 2011 से आच्छादित है अतः पृथक–पृथक सूची बनाया जाना नियमानुकुल नहीं है अतः आपत्ति बलहीन होने के कारण निरस्त कर दी गयी है।

15— श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा आपत्ति की गयी है कि प्रार्थी का नाम अंतिम ज्येष्ठता सूची में वर्तमान में कार्यरत क्रमांक 9 से उपर निर्धारित करते हुए वरिष्ठता प्रदान कर शासनादेश संख्या 1478/XXX(2)/2004 दिनांक 15 सितम्बर 2004 एवं माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुक्रम में प्रार्थी से कनिष्ठ प्रोन्नत सहायक अभियन्ता एवं अधिशासी अभियन्ता के समान प्रार्थी को भी ज्येष्ठता प्रदान करते हुए पदोन्नति का लाभ प्रदान किया जाए।

आपत्ति का मन्तव्य स्पष्ट नही है श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा का ज्येष्ठता क्रमांक–1 है। शेष आपत्ति ज्येष्ठता सूची के सम्बन्ध में न होकर पदोन्नति के सम्बन्ध में है। अतः आपत्ति बलहीन होने के कारण निरस्त कर दी गयी है।

16— श्री दीप चन्द्र बेलवाल कनिष्ठ अभियन्ता उत्तराखण्ड जल संस्थान अल्मोड़ा द्वारा निम्न बिन्दुओं पर आपत्ति करते हुए अपनी ज्येष्ठता संशोधन करने का अनुरोध किया है:-

बिन्दु 1— ज्येष्ठता सूची के क्रमांक 72 पर इनका गृह जनपद हल्द्वानी अंकित है जबकि इनके द्वारा सूचित किया गया है कि इनका गृह जनपद जिला नैनीताल है एवं स्थाई निवास हल्द्वानी है। क्योंकि हल्द्वानी जनपद नहीं है अपितु हल्द्वानी नैनीताल जनपद में आती है अतः इनका गृह जनपद संशोधित कर दिया गया है।

बिन्दु 2— लोक सेवा आयोग से अग्रसारित एवं प्रकाशित चयन परिणाम संख्या 156/गोपन/अ0अभि0–2005/2011–12 दिनांक 03–08–2011 के अनुसार इनका वरिष्ठता कम श्री सुमन सिंह के बाद तीसरे नम्बर पर है जिसके अनुसार विभाग द्वारा प्रकाशित ज्येष्ठता सूची में इनका नाम श्री सुमन सिंह(क्रम सं0 64) के बाद वरिष्ठता सूची में क्रम सं0 67 पर आना चाहिए था परन्तु इनको क्रम सं0 72 पर रखा गया है जो कि विभाग द्वारा प्रदान किए गये नियुक्ति पत्र के क्रम संख्या 5 पर उल्लेखित प्रतिबन्ध " **उपरोक्त कनिष्ठ अभियन्ता की पारस्परिक ज्येष्ठता वही रहेगी जो लोक सेवा आयोग उत्तराखण्ड के अनुसार निर्धारित की गयी है**" के अनुसार नहीं है।

श्री दीप चन्द्र बेलवाल के द्वारा जिस ज्येष्ठता क्रम का संदर्भ दिया है वह ज्येष्ठता क्रम न होकर लोक सेवा आयोग की कनिष्ठ अभियंता (सिविल) की चयन संस्तुति है। ज्येष्ठता लोक सेवा आयोग द्वारा पत्र संख्या 102 दिनांक 24 मई, 2012 से सूचित की गयी है तथा श्री दीप चन्द्र बेलवाल को तदनुसार ज्येष्ठता प्रदान की गयी है अतः इनकी आपत्ति निरस्त कर दी गयी है।

बिन्दु 3— ज्येष्ठता सूची में प्रकाशित समस्त कनिष्ठ अभियन्ताओं की शैक्षिक योग्यता डिप्लोमा/ए0एम0आई0ई0 दर्शित की गयी है परन्तु उनका तकनीकी ट्रेड जैसे सिविल, विद्युत/यांत्रिक आदि नहीं दर्शाया गया है। अर्थात इनका चयन किस तकनीकी पद हेतु हुआ है स्पष्ट नहीं है।

उक्त आपत्ति का निराकरण कर दिया गया है।

बिन्दु 4— ज्येष्ठता सूची के अनुसार सभी कनिष्ठ अभियन्ताओं की वरिष्ठता सूची एक ही बना दी गयी है। जबकि लोक सेवा आयोग उत्तराखण्ड को भेजे गये अधियाचन में तकनीकी पद सिविल, विद्युत/यांत्रिक आदि के पद अलग–अलग दर्शाये गये हैं इसी के अनुसार लोक सेवा आयोग द्वारा पदों का विज्ञापन उनकी शैक्षिक योग्यता निर्धारित करते हुए किया गया, तथा परीक्षा का आयोजन एवं परिणाम अलग–अलग घोषित था। इससे यह स्पष्ट है कि विभाग में कनिष्ठ अभियन्ता सिविल, विद्युत/यांत्रिक के पद अलग–अलग सृजित हैं अतः संयुक्त वरिष्ठता सूची बनाना तर्क संगत नहीं है।

उत्तराखण्ड जल संस्थान अभियंत्रण सेवा नियमावली, 2011 के अनुसार विभाग में कनिष्ठ अभियंता के पद सूचित है न कि कनिष्ठ अभियंता (सिविल) और (विद्युत एवं यांत्रिक) तथा सहायक अभियंता के पद भी संयुक्त है न कि (सिविल) और (विद्युत एवं यांत्रिक), सेवा नियमावली में भी पृथक–पृथक ज्येष्ठता सूची बनाये जाने का प्राविधान नहीं है अतः आपत्ति बलहीन होने के कारण निरस्त कर दी गयी है।

बिन्दु 5— विभाग द्वारा सहायक अभियन्ता पद हेतु भेजे गये अधियाचन एवं लोक सेवा आयोग द्वारा सहायक अभियन्ता पद की भर्ती हेतु प्रकाशित विज्ञापन में भी सहायक अभियन्ता(सिविल) एवं सहायक अभियन्ता(विद्युत/यांत्रिक) के पद अलग–अलग विज्ञापित किये गये है। अतः स्पष्ट है कि विभाग में सहायक अभियन्ता(सिविल) एवं सहायक अभियन्ता(विद्युत/यांत्रिक) के अलग–अलग पद सृजित हैं। फिर कनिष्ठ अभियन्ताओं की संयुक्त ज्येष्ठता सूची बनाने का आधार तर्क संगत नहीं लगता है। उक्त अलग–अलग ट्रेडों के लिए अलग–अलग वरिष्ठता सूची होनी चाहिए।

उत्तराखण्ड जल संस्थान अभियंत्रण सेवा नियमावली, 2011 के अनुसार विभाग में कनिष्ठ अभियंता के पद सूचित है न कि कनिष्ठ अभियंता (सिविल) और (विद्युत एवं यांत्रिक) तथा सहायक अभियंता के पद भी संयुक्त है

न कि (सिविल) और (विद्युत एवं यांत्रिक), सेवा नियमावली में भी पृथक–पृथक ज्येष्ठता सूची बनाये जाने का प्राविधान नहीं है अतः आपत्ति बलहीन होने के कारण निरस्त कर दी गयी है।

बिन्दु 6– ज्येष्ठता सूची के क्रम संख्या 31 से क्रम सं0 40 तक दिखाये गये कनिष्ठ अभियन्ता की नियुक्ति तिथि 17–08–2004 दर्शित की गयी है जबकि इस वर्ष या इससे पूर्व में किसी प्रकार की परीक्षा का आयोजन तथा विज्ञापन विभाग द्वारा नहीं दिया गया क्योंकि उक्त पद लोक सेवा आयोग की परिधि में आते हैं अतः ज्येष्ठता क्रम में इनको आगे रखते हुए इनके चयन का आधार स्पष्ट नहीं किया गया है जो कि तार्किक नहीं लगता है।

इस अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में क्रम सं. 31 से 40 तक अंकित कनिष्ठ अभियंताओं की सेवाओं का विनियमितीकरण **उत्तरांचल जल संस्थान (उत्तरांचल लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर)(समूह "ग" के पदों पर) दैनिक वेतन नियुक्तियों का विनियमितीकरण विनियम, 2003** के आधीन किया गया। अतः इनका नाम अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में सम्मिलित किया गया है। अतः आपत्ति बलहीन होने के कारण निरस्त कर दी गयी है।

बिन्दु 7– ज्येष्ठता सूची के क्रम सं0 56, 58, 60 एवं 62 में अंकित कनिष्ठ अभियन्ता का चयन वर्ष सेवा संविलियन आदेश 10–05–2012 दर्शाया गया है एवं उक्त अभ्यर्थियों को चयन वर्ष 2011 में चयनित कनिष्ठ अभियन्ता के साथ एक के बाद एक कर दर्शाया गया है जो कि तार्किक नहीं है। अतः उक्त कनिष्ठ अभियन्ताओं को 2011 में चयनित कनिष्ठ अभियन्ताओं से वरिष्ठ या कनिष्ठ जहां पर तार्किक हो की श्रेणी में शामिल किया जाए।

लोक सेवा आयोग से प्रथम चयन संस्तुति पत्रांक–1662/04/ई–2 / 2005–06 दिनांक 26–09–2011 तथा संशोधित चयन संस्तुति पत्रांक 3195/04/ई–2/2005–06 दिनांक 12–03–2012 से प्राप्त हुयी। उत्तराखण्ड जल संस्थान अभियंत्रण सेवा नियमावली, 2011 के प्राविधानों के अन्तर्गत अरुणांचल प्रदेश से प्रतिनियुक्ति पर उत्तराखण्ड जल संस्थान में तैनात कनिष्ठ अभियंताओं की सीधी भर्ती के रिक्त पदों के विरुद्ध संविलियन शासनादेश संख्या 452/उन्तीस(1)/12/(31अधि.)/2005 दिनांक 10–05–2012 से प्राप्त स्वीकृति के अन्तर्गत किया गया। इस संविलियन आदेश में यह व्यवस्था दी गयी कि इनकी ज्येष्ठता वर्तमान में कार्यरत कनिष्ठ अभियन्ताओं की सूची में सबसे नीचे निर्धारित होगी। अतः इनकी ज्येष्ठता सबसे नीचे श्री हेमन्त पठोई के बाद निर्धारित की गई है।

बिन्दु 8– चूंकि लोक सेवा आयोग की परिधि के पद हैं अतः लोक सेवा आयोग से चयनित कनिष्ठ अभियन्ता एवं विभागीय चयनित कनिष्ठ अभियन्ता की सूची पृथक–पृथक ट्रेड के अनुसार बनायी जाए।

समस्त कनिष्ठ अभियंता उत्तराखण्ड जल संस्थान अभियंत्रण सेवा नियमावली, 2011 से आच्छादित है अतः पृथक 2 सूची बनाया जाना नियमानुकुल नहीं है अतः आपत्ति बलहीन होने के कारण निरस्त कर दी गयी है।

17— श्री कमल कुमार भट्ट कनिष्ठ अभियन्ता उत्तराखण्ड जल संस्थान अल्मोड़ा द्वारा अपने पत्र दिनांक 27—08—2012 निम्न बिन्दुओं पर आपत्ति करते हुए अपनी ज्येष्ठता संशोधन करने का अनुरोध किया है:—

बिन्दु 1— ज्येष्ठता सूची में समस्त कनिष्ठ अभियन्ताओं की शैक्षिक योग्यता डिप्लोम/ए0एम0आई0ई0 दर्शित है परन्तु उनका तकनीकी ट्रेड जैसे सिविल, विद्युत/यांत्रिक आदि नहीं दर्शाया गया है अर्थात इनका चयन किस तकनीकी पद हेतु हुआ है स्पष्ट नहीं है।

ज्येष्ठता सूची में तकनीकी ट्रेड अंकित कर दिया गया है।

बिन्दु 2— ज्येष्ठता सूची के अनुसार सभी कनिष्ठ अभियन्ताओं की वरिष्ठता सूची एक ही बना दी गयी है। जबकि लोक सेवा आयोग उत्तराखण्ड का भेजे गये अधियाचन में तकनीकी पद सिविल, विद्युत/यांत्रिक आदि के पद अलग—अलग दर्शाये गये हैं इसी के अनुसार लोक सेवा आयोग द्वारा पदों का विज्ञापन उनकी शैक्षिक योग्यता निर्धारित करते हुए किया गया था परीक्षा परिणाम अलग—अलग घोषित था। इससे यह स्पष्ट है कि विभाग में कनिष्ठ अभियन्ता सिविल, विद्युत/यांत्रिक के पद अलग—अलग सृजित हैं अतः संयुक्त वरिष्ठता सूची बनाना तर्क संगत नहीं है।

उत्तराखण्ड जल संस्थान अभियंत्रण सेवा नियमावली, 2011 के अनुसार विभाग में कनिष्ठ अभियंता के पद सूचित है न कि कनिष्ठ अभियंता (सिविल) और (विद्युत एवं यांत्रिक) तथा सहायक अभियंता के पद भी संयुक्त है न कि (सिविल) और (विद्युत एवं यांत्रिक), सेवा नियमावली में भी पृथक—पृथक ज्येष्ठता सूची बनाये जाने का प्राविधान नहीं है अतः आपत्ति बलहीन होने के कारण निरस्त कर दी गयी है।

बिन्दु 3— ज्येष्ठता सूची के क्रम संख्या 31 से क्रम सं0 40 तक दिखाये गये कनिष्ठ अभियन्ता की नियुक्ति तिथि 17—08—2004 दर्शित की गयी है जबकि इस वर्ष या इससे पूर्व में किसी प्रकार की परीक्षा का आयोजन तथा विज्ञापन विभाग द्वारा नहीं दिया गया क्योंकि उक्त पद लोक सेवा आयोग की परिधि में आते हैं इनको वरिष्ठता सूची में आगे किस आधार पर रखा गया है स्पष्ट नहीं है।

इस अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में क्रम सं. 31 से 40 तक अंकित कनिष्ठ अभियंताओं की सेवाओं का विनियमितीकरण **उत्तरांचल, जल संस्थान (उत्तरांचल लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर)(समूह "ग" के पदों पर) दैनिक वेतन नियुक्तियों का विनियमितीकरण विनियम, 2003** के आधीन किया गया। अतः इनका नाम अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में सम्मिलित किया गया है। अतः आपत्ति बलहीन होने के कारण निरस्त कर दी गयी है।

बिन्दु 4– ज्येष्ठता सूची के कम सं0 56, 58, 60 एवं 62 में अंकित कनिष्ठ अभियन्ता का चयन वर्ष सेवा संविलियन आदेश 10–03–2012 दर्शाया गया है एवं उक्त अभ्यर्थियों को चयन वर्ष 2011 में चयनित कनिष्ठ अभियन्ता के साथ एक के बाद एक कर दर्शाया गया है जो कि तार्किक नहीं है। अतः उक्त कनिष्ठ अभियन्ताओं को 2011 में चयनित कनिष्ठ अभियन्ता से वरिष्ठ या कनिष्ठ जहां पर तार्किक हो की श्रेणी में शामिल किया जाए।

लोक सेवा आयोग से प्रथम चयन संस्तुति पत्रांक 1662/04/ई–2/ 2005–06 दिनांक 26–09–2011 तथा संशोधित चयन संस्तुति पत्रांक 3195/04/ई–2/2005–06 दिनांक 12–03–2012 से प्राप्त हुयी।उत्तराखण्ड जल संस्थान अभियंत्रण सेवा नियमावली, 2011 के प्राविधानों के अन्तर्गत अरुणांचल प्रदेश से प्रतिनियुक्ति पर उत्तराखण्ड जल संस्थान में तैनात कनिष्ठ अभियंताओं की सीधी भर्ती के रिक्त पदों के विरुद्ध संविलियन शासनादेश संख्या 452/उन्तीस(1)/12/(31अधि.)/2005 दिनांक 10–05–2012 से प्राप्त स्वीकृति के अर्न्तगत किया गया। इस संविलियन आदेश में यह व्यवस्था दी गयी कि इनकी ज्येष्ठता वर्तमान में कार्यरत कनिष्ठ अभियन्ताओं की सूची में सबसे नीचे निर्धारित होगी। अतः इनकी ज्येष्ठता सबसे नीचे श्री हेमन्त पठोई के बाद कर दी गई है।

बिन्दु 5– चूंकि लोक सेवा आयोग की परिधि के पद हैं अतः लोक सेवा आयोग से चयनित कनिष्ठ अभियन्ता एवं विभागीय चयनित कनिष्ठ अभियन्ता की सूची पृथक–पृथक ट्रेड के अनुसार बनायी जाए।

यह समस्त कनिष्ठ अभियंता उत्तराखण्ड जल संस्थान अभियंत्रण सेवा नियमावली, 2011 से आच्छादित है अतः पृथक–पृथक सूची बनाया जाना नियमानुकुल नहीं है अतः आपत्ति बलहीन होने के कारण निरस्त कर दी गयी है।

18– श्री सुरेश चन्द्र जोशी कनिष्ठ अभियंता द्वारा आवेदन पत्र दिनांक 27–08–2012 निम्न बिन्दुओं पर आपत्ति करते हुए अपनी ज्येष्ठता संशोधन करने का अनुरोध किया है:–

बिन्दु 1– लोक सेवा आयोग हरिद्वार उत्तराखण्ड द्वारा चयन वर्ष 2011 में कनिष्ठ अभियन्ता की जो मैरिट सूची के अनुसार परिणाम घोषित किया गया था उसमें प्रार्थी का क्रमांक 8वां था। लेकिन विभागीय ज्येष्ठता सूची में चयन वर्ष 2011 के अनुसार क्रमांक 17 वां है जबकि ज्येष्ठता सूची में चयन वर्ष 2011 में क्रमांक 8 वां होना चाहिए।

जिस ज्येष्ठता क्रम का संदर्भ दिया है वह ज्येष्ठता क्रम न होकर लोक सेवा आयोग की कनिष्ठ अभियंता (सिविल) की चयन संस्तुति है। ज्येष्ठता लोक सेवा आयोग द्वारा पत्र संख्या 102 दिनांक 24 मई, 2012 से सूचित की गयी है तथा तद्नुसार ज्येष्ठता प्रदान की गयी है अतः आपत्ति बलहीन होने के कारण निरस्त कर दी गयी है।

बिन्दु 2– ज्येष्ठता सूची के कम सं0 56, 58, 60 एवं 62 में कनिष्ठ अभियन्ताओं का संविलियन आदेश 10–05–2012 को हुआ है जिनको चयन वर्ष 2011 के कनिष्ठ अभियन्ता से ज्येष्ठता दी गयी है। जबकि कम सं0 56, 58, 60 एवं 62 के कनिष्ठ अभियन्ता की ज्येष्ठता चयन वर्ष 2011 के अन्तिम कनिष्ठ अभियन्ता श्री हेमन्त पठोई के क्रमांक के बाद अंकित होनी चाहिए।

लोक सेवा आयोग से प्रथम चयन संस्तुति पत्रांक–1662/04/ ई–2/ 2005–06 दिनांक 26–09–2011 तथा संशोधित चयन संस्तुति पत्रांक 3195/04/ई–2/2005–06 दिनांक 12–03–2012 से प्राप्त हुयी। उत्तराखण्ड जल संस्थान अभियंत्रण सेवा नियमावली, 2011 के प्राविधानों के अन्तर्गत अरुणांचल प्रदेश से प्रतिनियुक्ति पर उत्तराखण्ड जल संस्थान में तैनात कनिष्ठ अभियंताओं की सीधी भर्ती के रिक्त पदों के विरुद्ध संविलियन शासनादेश संख्या–452/ उन्तीस(1)/12/(31अधि.)/2005 दिनांक 10–05–2012 से प्राप्त स्वीकृति के अन्तर्गत किया गया। इस संविलियन आदेश में यह व्यवस्था दी गयी कि इनकी ज्येष्ठता वर्तमान में कार्यरत कनिष्ठ अभियन्ताओं की सूची में सबसे नीचे निर्धारित होगी। अतः इनकी ज्येष्ठता सबसे नीचे श्री हेमन्त पठोई के बाद की गई है।

19– श्री त्रेपन सिंह रावत कनिष्ठ अभियन्ता उत्तराखण्ड जल संस्थान मसूरी द्वारा अपने पत्र दिनांक 31–08–2012 निम्नवत् आपत्ति प्रस्तुत की है।

बिन्दु 1– लोक सेवा आयोग द्वारा प्रार्थी का चयन ग्राम्य विकास विभाग हेतु मई, 2004 में किया गया था, कतिपय कारणों से शासन द्वारा आयोग द्वारा चयनित अभियन्ताओं को उत्तराखण्ड जल संस्थान में नियुक्त किया गया था अतः प्रार्थी का चयन वर्ष मई 2004 मानते हुए ज्येष्ठता कम में दिनांक 17–08–2004 में नियुक्त अभियन्ताओं (जो कि सूची में कम सं0 30 से 40 तक), से ऊपर रखा जाए।

श्री त्रेपन सिह रावत का चयन ग्राम्य विकास विभाग हेतु किया गया था किन्तु ग्राम्य विकास विभाग में पद रिक्त न होने के कारण शासनादेश संख्या 873 दिनांक 16 अप्रैल, 2005 के अनुपालन में इनकी नियुक्ति इनकी सहमति के

उपरांत उत्तराखण्ड जल संस्थान में की गयी। इस प्रकार उत्तराखण्ड जल संस्थान के लिए इनका वयन वर्ष 2005–06 मानते हुए ज्येष्ठता निर्धारित की गयी है। जबकि उत्तराखण्ड जल संस्थान में संहत वेतन पर कार्यरत कनिष्ठ अभियंताओं का विनियमितिकरण शासनादेश संख्या 1436 दिनांक 09 जून, 2004 के अनुपालन में किया गया। अतः इनकी ज्येष्ठता तद्नुसार निर्धारित की गयी। अतः आपत्ति बलहीन होने के कारण निरस्त कर दी गयी है।

बिन्दु 2– उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा ग्राम्य विकास विभाग/शहरी विकास विभाग एवं ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग हेतु चयनित कनिष्ठ अभियन्ताओं की प्राप्तांकों के आधार पर श्रेष्ठता कम में पत्र संख्या– 323/कार्मिक/01/ पारस्परिक ज्येष्ठता(क0अभि0)/58/ 2011–12 दिनांक 18–04–2011 द्वारा पारस्परिक ज्येष्ठता सूची का निगर्मन किया गया था, किन्तु इसके पश्चात किन कारणों से विभागीय कनिष्ठ अभियन्ताओं की संयुक्त सूची का निर्गमन नहीं किया गया जबकि प्रार्थी के साथ आयोग द्वारा चयनित कनिष्ठ अभियन्ता श्री अशोक कुमार, श्री मनोज कुमार, श्री राजेन्द्र पाल एवं श्री अवधेश कुमार को इस सूची निर्गमन से पूर्व ही शासनादेश संख्या 288 दिनांक 11–03–2011 के द्वारा प्रोन्नत दर्शित किया गया है। प्रार्थी से ज्येष्ठता कम में नीचे होने पर भी उक्त अभियन्ताओं के सहायक अभियन्ता के पद पर प्रोन्नत होने से वह ज्येष्ठ हो गये हैं इन अभियन्ताओं के कनिष्ठ अभियन्ता से सहायक अभियन्ता के पद पर चयन से पूर्व की विभागीय कनिष्ठ अभियन्ताओं की पारस्परिक ज्येष्ठता सूची उपलब्ध करायी जाये।

उल्लेखित कनिष्ठ अभियन्ताओं की पदोन्नति आरक्षित संवर्ग के रिक्त पदों के सापेक्ष की गयी है। अतः आपत्ति बलहीन होने के कारण निरस्त कर दी गयी है।

बिन्दु 3– उत्तर प्रदेश संवर्ग के जिन 18 कनिष्ठ अभियन्ताओं को माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के कम में उत्तराखण्ड जल संस्थान संवर्ग आवंटित किया गया है, प्रार्थी की जानकारी के अनुसार अभी तक विभाग में इनका नियमितीकरण/विनियमितीकरण नही किया गया है। फिर भी इन्हें श्रेष्ठता क्रम मे सबसे उपर मानते हुए ज्येष्ठता प्रदान की गयी हैं जो कि उचित एवं न्याय संगत प्रतीत नही हो रही है।

उक्त आपत्ति का निराकरण प्रस्तर–8 के बिन्दु–7 में कर दिया गया है।

बिन्दु 4– श्री सत्यवान सिह कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा लोक सेवा आयोग से वर्ष 2004 से चयनित कनिष्ठ अभियन्ताओं की ज्येष्ठता से नीचे के कम में रहने पर सहर्ष सहमति प्रदान की गयी थी फिर भी उन्हें ज्येष्ठता कम में 29 पर दर्शाया गया हैं। जबकि इन्हें कम संख्या 56 पर अंकित करना चाहिए। इसी

प्रकार अन्य अभियन्ताओं द्वारा भी सहमति प्रदान की गयी थी, इन तथ्यों को नियमानुसार संज्ञान में लिया जाए।

शासनादेश संख्या–833 दिनांक 14 अगस्त 2012, से श्री सत्यवान सिंह रावत को मौलिक नियुक्ति की दिनांक से ज्येष्ठता प्रदान करने का निर्णय लिया गया है अतः आपत्ति बलहीन होने के कारण निरस्त कर दी गयी है।

जिन कनिष्ठ अभियन्ताओं की शैक्षिक/तकनीकी योग्यता में डिप्लोमा के अतिरिक्त जो अन्य उच्च शिक्षा अंकित की है, उसके आधार पर यह कनिष्ठ अभियन्ता विभागीय नियमों के अनुसार पदोन्नति के पात्र नही हो जाते है। यह पात्रता इनके द्वारा प्राप्त की गयी योग्यता की वैधता प्रमाणित होने के उपरान्त ही मान्य होगी जो कि स्नातक उपाधि सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति से प्राप्त की गयी हो।

20– त्रेपन सिंह रावत एवं अन्य के पत्र दिनांक 15–10–2012 द्वारा आपत्ति दर्ज की गई है कि उत्तराखण्ड जल संस्थान द्वारा कनिष्ठता अभियन्ताओं की अंनतिम ज्येष्ठता क्रमांक में 31 से 40 तक दर्शाए गये 10 कनिष्ठ अभियन्ता जिनकी नियुक्ति तिथि 17–08–2004 अंकित है तथा यह सभी अभियन्ता मा0 उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में विनियमित किये गये थे तथा उपरोक्त त्रेपन सिंह रावत एवं अन्य को उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा नियमित भर्ती के अन्तर्गत मई 2004 में चयनित किया गया था एवं त्रेपन सिंह रावत एवं अन्य का उत्तराखण्ड जल संस्थान में नियुक्ति मई 2005 की है। उत्तरखण्ड जल संस्थान सेवा अभियन्त्रण नियमावली 2011 एवं उत्तराखण्ड सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली 2002 के अनुसार क्र0सं0 31 से 55 तक अंकित अभियन्ताओं का नियुक्ति वर्ष 2004–05 (01 जुलाई से 30 जून) है। इस स्थिति के प्रभावी होने पर भी आयोग द्वारा नियमित भर्ती के लिये चयनित कनिष्ठ अभियन्ता, तदर्थ रूप से नियुक्त/विनियमित (दिनांक 17–08–2004) कनिष्ठ अभियन्ताओं से ज्येष्ठ होगे। अतः लोक सेवा आयोग द्वारा वर्ष 2004 में चयनित कनिष्ठ अभियन्ताओं को तदर्थ रूप से नियुक्ति/नियमित अभियन्ताओं से ज्येष्ठता सूची में उपर रखा जाए।

त्रेपन सिंह रावत की उक्त आपत्ति प्रस्तर–19 के अनुसार निस्तारित कर दिया गया है तथा अन्य अभियन्ताओ द्वारा आपत्ति से सम्बंधित कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया है अतः आपत्ति बलहीन होने के कारण निरस्त कर दी गयी है।

पूर्व में उत्तर प्रदेश से आये अभियन्ताओं की वरिष्ठता उत्तर प्रदेश शासन द्वारा दिनाक 03–01–2008 तथा 31–01–1996 द्वारा निर्धारित अंतिम ज्येष्ठा सूची के आधार पर ही निर्धारित की गयी है। इस सम्बन्ध में कतिपय अभियन्ताओं द्वारा आपत्ति व्यक्त की गयी थी कि क्रमांक–1 से 19 पर उल्लिखित

कार्मिकों की नियमित नियुक्ति नहीं हुयी है परन्तु प्राप्त अभिलेखों तथा निदेशक स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश के पत्र दिनांक 24–09–2011 को दृष्टिगत रखते हुये तथा उत्तर प्रदेश द्वारा निर्गत वरिष्ठता सूची को दृष्टिगत रखते हुये क्रमांक–1 से 18 पर उल्लिखित कार्मिकों की वरिष्ठता यथास्थान रखी गयी है तथा श्री रमेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, जिनकी नियुक्ति निदेशक स्थानीय निकाय निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के आदेश दिनांक 23 मई, 1990 द्वारा की गयी है। इनकी ज्येष्ठता निर्धारण हेतु उत्तर प्रदेश पालिका और जल संस्थान जलकल अभियन्त्रण (केन्द्रीयित सेवा नियमावली 1996) के नियम 23 के (बिन्दु संख्या–9) में व्यवस्था है कि इस नियम के अधीन नियुक्त कोई व्यक्ति इस नियम के अनुसार चयन के पश्चात केवल नियुक्ति के आदेश के दिनांक से ज्येष्ठता का हकदार होगा तथा मा0 न्यायालय के आदेश दिनाक 18–05–2012 द्वारा भी आदेश पारित हैं कि ज्येष्ठता नियुक्ति की तिथि से निर्धारित की जाये। इस प्रकार श्री रमेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की ज्येष्ठता क्रमांक–19 पर रखी जानी समीचीन प्रतीत होती है।

प्रस्तावित सूची के क्रमांक–30 से 39 पर उल्लिखित क्रार्मिक जो उत्तराखण्ड जल संस्थान (उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग से बाहर) समूह–ग के पदो पर दैनिक वेतन नियुक्तियों का विनियमितिकरण विनियम–2003 के प्राविधानों के अनुसार विनियमित किये गये थे तथा अगस्त, 2004 से उक्त पद पर नियमित नियुक्त किये गये हैं तथा सूची के क्रमांक–40 से 54 जो उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग से चयनित होकर मई, 2005 में नियुक्त किये गये हैं, पर कार्मिक विभाग का परामर्श प्राप्त किया गया है। कार्मिक विभाग द्वारा परामर्श दिया गया है कि विनियमित कर्मी चयन वर्ष में ही सीधी भर्ती से चयन उपरान्त नियुक्ति से पूर्व विनियमित हुये हैं ऐसे मामले में कोई नियम परस्पर ज्येष्ठता निर्धारण का नहीं है। जहा नियम न हो जो सेवा में अधिक सेवा का व्यक्ति होगा वह ज्येष्ठ होता है। अतः उपरोक्त परामर्श के क्रम में ज्येष्ठता सूची का निर्धारण किया गया है।

अतः एतत् द्वारा उत्तराखण्ड जल संस्थान के कनिष्ठ अभियन्ताओ की वरिष्ठता सूची अन्तिम रूप से निर्णीत करते हुए निम्नवत् निर्धारित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

क्र0 सं0	नाम	जन्म तिथि	गृह जनपद	तकनीकी योग्यता	नियुक्ति की तिथि
1	2	3	4	5	6
1	श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा	01–12–52	सहारनपुर	डिप्लोमा (वि./यां.)	19–12–75
2	श्री बी0 एन0 प्रजापति	23–09–53	बांदा	डिप्लोमा (वि./यां.)	01–06–78
3	श्री शोभिन यादव	10–08–54	वाराणसी	डिप्लोमा (वि./यां.)	28–04–82
4	श्री कृष्ण पाल सिंह	01–01–57	एटा	डिप्लोमा (वि./यां.)	09–08–83
5	श्री सैयद मोहम्मद रामूल	15–05–54	बरेली	डिप्लोमा (वि./यां.)	20–8–83

6	श्री उमेश चन्द्र पाल	08 02 55	फर्रुखाबाद	डिप्लोमा (वि. / यां.)	27 8 83
7	श्री राकेश कुमार दीक्षित	01 02 56	जालौन	डिप्लोमा (वि. / यां.)	07 11 83
8	श्री उमेश चन्द्र शर्मा	12 02 54	आगरा	डिप्लोमा (वि. / यां.)	11 9 84
9	श्री प्रेम जी श्रीवास्तव	24 01 58	बस्ती	डिप्लोमा (वि. / यां.)	12 9 84
10	श्री कैलाशचन्द्र पैन्यूली	01 07 63	चमोली	डिप्लोमा (सिविल)	16 10 85
11	श्री राम करण वर्मा	03 03 60	फतेहपुर	डिप्लोमा (वि. / यां.) / बी0टैक (सिविल)	03 07 86
12	श्री अजय पाल सिंह	12-09 61	फतेहपुर	डिप्लोमा (वि. / यां.)	03 07 86
13	श्री जे0 पी0 सिंह	02 07 63	कानपुर	डिप्लोमा (वि. / यां.)	03 07 86
14	श्री विरेन्द्र सिंह	12 08 59	बाराबंकी	डिप्लोमा (वि. / यां.)	03 07 86
15	श्री बी0सी0पाल	01 10 60	कानपुर	डिप्लोमा (वि. / यां.)	14 7 86
16	श्री एच0सी0 पाल	10 03 58	लखनऊ	डिप्लोमा (वि. / यां.)	17 7 86
17	श्री राजेन्द्र प्रसाद ममगाई	01-07 61	उत्तरकाशी	डिप्लोमा (सिविल)	22 11 87
18	श्री कैलाश सिंह खाती	30 06 62	अल्मोड़ा	डिप्लोमा (सिविल) / बी0टैक (विद्युत)	23 05 90
19	श्री रमेन्द्र कुमार श्रीवास्तव	01-03 62	बहराइच	डिप्लोमा (वि. / यां.)	23 05 90
20	श्री राजेश कुमार निर्वाल	20 09 66	मुज्जफर नगर	डिप्लोमा (वि. / यां.)	23 06 97
21	श्री शिव कुमार राय	01-07-65	बलिया	डिप्लोमा (वि. / यां.) ए0एम0आई0ई0	10 08 98
22	श्री मदन सैन वर्मा	03 06 64	मुज्जफर नगर	डिप्लोमा (वि. / यां.) / बी0टैक (सिविल)	10 08 98
23	श्री संजय कुमार श्रीवास्तव	08 01 65	इलाहाबाद	डिप्लोमा (वि. / यां.)	10 08 98
24	श्री विनोद कुमार श्रीवास्तव	01 01 60	जौनपुर	डिप्लोमा (वि. / यां.)	10 08 98
25	श्री शिशुपाल सिंह	05 07 62	इटावा	डिप्लोमा (वि. / यां.)	10 08 98
26	श्री राकेश कुमार	01 07 64	हरिद्वार	डिप्लोमा (वि. / यां.)	10 08 98
27	श्री अरूण कुमार	01-08 65	मुज्जफर नगर	डिप्लोमा (वि. / यां.)	10 08 98
28	श्री रमाशंकर	05 03 64	मिर्जापुर	डिप्लोमा (वि. / यां.)	10 08 98
29	श्री सत्यवान सिंह रावत	18-08 70	पिथौरागढ़	डिप्लोमा (वि. / यां.)	27 05 99
30	श्री बलीराम चौधरी	16 12 63	बस्ती उ0प्र0	डिप्लोमा(वि0 / या0)	17 08 04
31	श्री राधेश्याम गुप्ता	24 07 62	चन्दौली उ0प्र0	डिप्लोमा (वि. / यां.)	17 08 04
32	श्री विनोद पाण्डेय	28 02 67	रूद्रप्रयाग	डिप्लोमा (सिविल)	17 08 04
33	श्री हरीश कुमार बंसल	10-10 66	देहरादून	डिप्लोमा (वि. / यां.)	17 08 04
34	श्री लोकेन्द्र सिंह कुमाई	12 07 63	उत्तरकाशी	डिप्लोमा (सिविल) / बी0टैक (सिविल)	17 08 04
35	श्री भूपेन्द्र सिंह	17-02 66	चमोली	डिप्लोमा (सिविल)	17 08 04
36	श्री राकेश कुमार वर्मा	08 06 64	मुज्जफर नगर	डिप्लोमा (वि. / यां.) एवं डिग्री मैकेनिकल इंजी0 ए0एम0आई0ई0 1998	17 08 04

37	श्री सुभाष चन्द्र जुयाल	02 01 68	पौड़ी	डिप्लोमा (सिविल)	17 08 04
38	श्री सुनील सिंह	21 11 65	हरिद्वार	डिप्लोमा (सिविल)	17 08 04
39	श्री गिरीश चन्द्र भट्ट	24 12 59	टिहरी	डिप्लोमा (वि./यॉ.) बी0टेक(विद्युत)	17 08 04
40	श्री आनन्द मोहन करास	26 01 64	देहरादून	डिप्लोमा (सिविल)/ग्रेजुऐट डिप्लोमा इन कन्स्ट्रक्शन मैनेजमेन्ट	वर्ष 2005
41	श्री अरूण विक्रम सिंह	29–08–69	पौड़ी	डिप्लोमा (सिविल) / बी0ई0 सिविल	वर्ष 2005
42	श्री विनीत रावत	20–01–67	पौड़ी	बी0ई0 (सिविल)	वर्ष 2005
43	श्री कैलाश चन्द्र चौधरी	02–01–69	पौड़ी	डिप्लोमा (सिविल)	वर्ष 2005
44	श्री श्याम सिंह	15–02–63	अल्मोड़ा	डिप्लोमा (सिविल)	वर्ष 2005
45	श्री बंशीधर	27–02–67	चम्पावत	डिप्लोमा (सिविल)	वर्ष 2005
46	श्री त्रेपन सिंह रावत	10–01–78	देहरादून	डिप्लोमा (सिविल)	वर्ष 2005
47	श्री चन्द्रन सिंह	02–06–68	अल्मोड़ा	डिप्लोमा (सिविल)	वर्ष 2005
48	श्री राजेश कुमार	11–08–68	हरिद्वार	डिप्लोमा (सिविल)	वर्ष 2005
49	श्री बृजमोहन कबडाल	30–06–66	देहरादून	डिप्लोमा (सिविल)	वर्ष 2005
50	श्री ललित मोहन पाण्डे	15–01–66	अल्मोड़ा	डिप्लोमा (सिविल)	वर्ष 2005
51	श्री मौहम्मद शाहिद	01–02–80	हरिद्वार	डिप्लोमा (सिविल)/बी0टैक (सिविल)	वर्ष 2005
52	श्री संजय कुमार	10–08–74	हरिद्वार	डिप्लोमा (सिविल)	वर्ष 2005
53	श्री बदरे आलम	01–01–73	हरिद्वार	डिप्लोमा (सिविल)	वर्ष 2005
54	श्री अब्दुल रशीद	01–04–74	उधमसिंहनगर	डिप्लोमा (सिविल)	वर्ष 2005
55	श्री सुभाष चन्द्र गंगोला	16–10–76	पिथौरागढ़	डिप्लोमा (वि./यॉ.)	वर्ष 2011
56	श्री संजीव कुमार	16–02–80	चम्पावत	डिप्लोमा (वि./यॉ.)	वर्ष 2011
57	श्री सूरज सिंह	10–08–82	हरिद्वार	डिप्लोमा (वि./यॉ.)	वर्ष 2011
58	श्री कृष्णकान्त	13–06–81	पौड़ी	डिप्लोमा (वि./यॉ.)	वर्ष 2011
59	श्री सुमन सिंह	05–06–70	उत्तरकाशी	डिप्लोमा (सिविल)	वर्ष 2011
60	श्री देवराज	02–03–82	देहरादून	डिप्लोमा (वि./यॉ.)	वर्ष 2011
61	श्री दीनदयाल	27–03–80	अल्मोड़ा	डिप्लोमा (वि./यॉ.)	वर्ष 2011
62	श्री रविन्द्र कुमार	02–07–81	हरिद्वार	डिप्लोमा (वि./यॉ.)	वर्ष 2011
63	श्री मनोज कुमार	12–10–77	नैनीताल	डिप्लोमा (वि./यॉ.)	वर्ष 2011
64	श्री जयपाल सिंह चौहान	10–4–83	देहरादून	डिप्लोमा (वि./यॉ.)	वर्ष 2011
65	श्री नरेन्द्र कुमार रिखाड़ी	28–06–70	अल्मोड़ा	डिप्लोमा (सिविल)	वर्ष 2011
66	श्री नीरज त्रिपाठी	17–02–71	रूद्रप्रयाग	डिप्लोमा (सिविल)	वर्ष 2011
67	श्री दीपचन्द्र बेलवाल	23–07–70	नैनीताल	डिप्लोमा (सिविल)	वर्ष 2011
68	श्री पवन कुमार जोशी	24–02–70	बागेश्वर	डिप्लोमा (सिविल)	वर्ष 2011
69	श्री देवकी नन्दन	04–10–68	हरिद्वार	डिप्लोमा (सिविल)	वर्ष 2011
70	श्री कैलाश चन्द्र जोशी	01–08–69	अल्मोड़ा	डिप्लोमा (सिविल)	वर्ष 2011

71	श्री सुरेश चन्द्र जोशी	04-04-71	पिथौरागढ़	डिप्लोमा (सिविल)	वर्ष 2011
72	श्री मुकेश कुमार सक्सेना	25-03-68	हरिद्वार	डिप्लोमा (सिविल)	वर्ष 2011
73	श्री रेवत सिंह	05-08-69	पौड़ी	डिप्लोमा (सिविल)	वर्ष 2011
74	श्री हिमांशु नौटियाल	25-04-86	टिहरी	डिप्लोमा (सिविल)	वर्ष 2011
75	श्री हरिश चन्द्र द्विवेदी	22-06-72	पिथौरागढ़	डिप्लोमा (सिविल)	वर्ष 2011
76	श्री मोहन सिंह रावत	30-03-72	पिथौरागढ़	डिप्लोमा (सिविल)	वर्ष 2011
77	श्री गिरीश चन्द्र सेमवाल	06-05-80	उत्तरकाशी	डिप्लोमा (सिविल)	वर्ष 2011
78	श्री बीरेन्द्र सिंह मेहता	29-05-68	अल्मोड़ा	डिप्लोमा (सिविल)	वर्ष 2011
79	श्री शेखर रौतेला	13-11-83	अल्मोड़ा	डिप्लोमा (सिविल)	वर्ष 2011
80	श्री राकेश चन्द्र	02-07-74	पौड़ी	डिप्लोमा (सिविल)	वर्ष 2011
81	श्री पवन सिंह	10-05-78	नैनीताल	डिप्लोमा (सिविल)	वर्ष 2011
82	श्री नरेन्द्र सिंह जगवाण	20-06-71	रूद्रप्रयाग	डिप्लोमा (सिविल)	वर्ष 2011
83	श्री बृज मोहन रावत	11-05-75	पौड़ी	डिप्लोमा (सिविल)	वर्ष 2011
84	श्री सुनील चन्द्र उप्रैती	01-07-81	टिहरी	डिप्लोमा (सिविल)	वर्ष 2011
85	श्री प्रमोद चन्द्र	02-07-71	नैनीताल	डिप्लोमा (सिविल)	वर्ष 2011
86	श्री हरीश चन्द्र पंत	16-12-75	नैनीताल	डिप्लोमा (सिविल)	वर्ष 2011
87	श्री अशोक कुमार	09-01-73	अल्मोड़ा	डिप्लोमा (सिविल)	वर्ष 2011
88	श्री नरेन्द्र सिंह	05-01-70	पौड़ी	डिप्लोमा (सिविल)	वर्ष 2011
89	श्री प्रशान्त कुमार सेमवाल	05-12-83	टिहरी	डिप्लोमा (सिविल)	वर्ष 2011
90	श्री दिवाकर डंगवाल	12-09-77	उत्तरकाशी	डिप्लोमा (सिविल)	वर्ष 2011
91	श्री कृष्ण चन्द्र बुधानी	05-04-79	अल्मोड़ा	डिप्लोमा (सिविल)	वर्ष 2011
92	श्री मनोज सिंह बिष्ट	10-10-82	अल्मोड़ा	डिप्लोमा (सिविल)	वर्ष 2011
93	श्री अनूप सेमवाल	10-05-79	उत्तरकाशी	डिप्लोमा (सिविल)	वर्ष 2011
94	श्री सोहन सिंह जेठूड़ी	12-07-77	टिहरी	डिप्लोमा (सिविल)	वर्ष 2011
95	श्री अनिल परिहार	05-01-78	बागेश्वर	डिप्लोमा (सिविल)	वर्ष 2011
96	श्री भगत सिंह रावत	02-10-77	टिहरी	डिप्लोमा (सिविल)	वर्ष 2011
97	श्री विनय सिंह बिष्ट	25-06-80	देहरादून	डिप्लोमा (सिविल)	वर्ष 2011
98	श्री अनिल नेगी	16-06-76	टिहरी	बी0टेक (सिविल)	वर्ष 2011
99	श्री किशोर चन्द्र पंत	24-04-81	बागेश्वर	डिप्लोमा (सिविल)	वर्ष 2011
100	श्री बहादुर सिंह	15-08-79	अल्मोड़ा	डिप्लोमा (सिविल)	वर्ष 2011
101	श्री ज्योति कोटनाला	15-10-80	टिहरी	डिप्लोमा (सिविल)	वर्ष 2011
102	श्री लक्ष्मण सिंह परिहार	11-07-73	अल्मोड़ा	डिप्लोमा (सिविल)	वर्ष 2011
103	श्री जगदीश सिंह	07-07-80	देहरादून	डिप्लोमा (सिविल)	वर्ष 2011
104	श्री दीपक नौटियाल	14-05-81	टिहरी	डिप्लोमा (सिविल)	वर्ष 2011
105	श्री परमानन्द पुनेठा	15-08-83	चम्पावत	डिप्लोमा (सिविल)	वर्ष 2011
106	श्री चन्द्र शेखर पन्त	01-07-84	चम्पावत	डिप्लोमा (सिविल)	वर्ष 2011
107	श्री पंकज उपाध्याय	21-09-79	बागेश्वर	डिप्लोमा (सिविल)	वर्ष 2011
108	श्री प्रणय ध्यानी	21-01-84	उधमसिंहनगर	डिप्लोमा (सिविल)	वर्ष 2011
109	श्री राघवेन्द्र डोभाल	16-10-84	देहरादून	डिप्लोमा (सिविल)	वर्ष 2011

110	श्री रविन्द्र	16-06-79	नैनीताल	डिप्लोमा (सिविल)	वर्ष 2011
111	श्री प्रेम चन्द्र	29-01-79	पौड़ी	डिप्लोमा (सिविल)	वर्ष 2011
112	श्री आनन्द सिंह	01-10-81	रूद्रप्रयाग	डिप्लोमा (सिविल)	वर्ष 2011
113	श्री ललित मोहन ऐठानी	08-07-81	बागेश्वर	डिप्लोमा (सिविल)	वर्ष 2011
114	श्री आनन्द बल्लभ जोशी	15-06-80	उधमसिंह नगर	डिप्लोमा (सिविल)	वर्ष 2011
115	श्री यशपाल सिंह बिष्ट	15-08-72	चमोली	डिप्लोमा (सिविल)	वर्ष 2011
116	श्री मनोज डबराल	15-01-75	पौड़ी	डिप्लोमा (सिविल)	वर्ष 2011
117	श्री राकेश जोशी	01-06-80	देहरादून	डिप्लोमा (सिविल)	वर्ष 2011
118	श्री जगदीश सिंह पंवार	16-01-78	चमोली	डिप्लोमा (सिविल)	वर्ष 2011
119	श्री सुरेन्द्र सिंह रौतेला	07-07-70	अल्मोड़ा	डिप्लोमा (सिविल)	वर्ष 2011
120	श्री सतीश सिंह	09-09-70	नैनीताल	डिप्लोमा (सिविल)	वर्ष 2011
121	श्री मयंक मणी वाजपेयी	27-06-73	सीतापुर	डिप्लोमा (सिविल)	वर्ष 2011
122	श्री यशवीर सिंह रौथाण	10-02-80	रूद्रप्रयाग	डिप्लोमा (सिविल)	वर्ष 2011
123	श्री चन्द्र मोहन चनकन्याल	17-08-66	चम्पावत	डिप्लोमा (सिविल)	वर्ष 2011
124	श्री वीरेन्द्र सिंह	28-06-78	चमोली	डिप्लोमा (सिविल)	वर्ष 2011
125	श्री पूरन चन्द्र पाण्डे	12-01-81	नैनीताल	डिप्लोमा (सिविल)	वर्ष 2011
126	श्री दिनेश चन्द्र पुरोहित	20-04-80	चमोली	डिप्लोमा (सिविल)	वर्ष 2011
127	श्री नीरज कुमार शर्मा	21-04-82	देहरादून	डिप्लोमा (सिविल)	वर्ष 2011
128	श्री प्रदीप कुमार	01-05-85	उधमसिंहनगर	डिप्लोमा (सिविल)	वर्ष 2011
129	श्री कमल कुमार भटट	02-02-78	पिथौरागढ़	डिप्लोमा (सिविल)	वर्ष 2011
130	कु0 वन्दना रानी	02-02-85	हरिद्वार	डिप्लोमा (वि./यॉ.)	वर्ष 2011
131	श्री अजय सिंह सैनी	23-10-66	हरिद्वार	डिप्लोमा (सिविल)	वर्ष 2011
132	श्री सुनील कुमार सिंह	30-06-65	हरदोई	डिप्लोमा(सिविल)एवं ए0एम0आई0ए0	वर्ष 2011
133	श्री जुनैद अहमद	01-01-86	हरिद्वार	डिप्लोमा (सिविल)	वर्ष 2011
134	श्री संजीव भटनागर	01-01-65	देहरादून	डिप्लोमा (सिविल)	वर्ष 2011
135	श्री अरूण कुमार गुप्ता	16-04-80	रूद्रप्रयाग	डिप्लोमा (सिविल)	वर्ष 2011
136	मो0 परवेज आलम	01-10-84	देहरादून	डिप्लोमा (सिविल)	वर्ष 2011
137	श्री ललित कुमार	25-06-79	अल्मोड़ा	डिप्लोमा (सिविल)	वर्ष 2011
138	श्री संजय कुमार	21-06-77	देहरादून	डिप्लोमा (सिविल)	वर्ष 2011
139	श्री सन्तोष कुमार	01-10-74	अल्मोड़ा	डिप्लोमा (सिविल)	वर्ष 2011
140	श्री बलविन्दर सिंह	25-05-86	उधमसिंहनगर	डिप्लोमा (सिविल)	वर्ष 2011
141	श्री सत्येन्द्र सिंह चौहान	21-04-85	टिहरी	डिप्लोमा (सिविल)	वर्ष 2011
142	श्री सुरेन्द्र सिंह	26-07-81	पिथौरागढ़	डिप्लोमा (सिविल)	वर्ष 2011
143	श्री कमल किशोर टम्टा	17-09-83	चम्पावत	डिप्लोमा (सिविल)	वर्ष 2011
144	श्री प्रशान्त वर्मा	01-07-82	चम्पावत	डिप्लोमा (सिविल)	वर्ष 2011
145	श्री नवीन कुमार	31-05-86	देहरादून	डिप्लोमा (सिविल)	वर्ष 2011
146	श्री बालम गिरी	06-06-77	नैनीताल	डिप्लोमा (सिविल)	वर्ष 2011
147	श्री मुजाहिद अहमद	11-07-82	उधमसिंह नगर	डिप्लोमा (सिविल)	वर्ष 2011

148	श्री विनोद असवाल	02-10-83	टिहरी	डिप्लोमा (सिविल)	वर्ष 2011
149	श्री सुशील कुमार	20-05-82	हरिद्वार	डिप्लोमा (सिविल)	वर्ष 2011
150	श्री विनोद कुमार	10-10-66	हरिद्वार	डिप्लोमा (सिविल)	वर्ष 2011
151	श्री हेमन्त पठोई	01-07-84	टिहरी	डिप्लोमा (सिविल)	वर्ष 2011
152	श्री के0 एल0 शाह	05-04-62	चमोली	डिप्लोमा (सिविल)	सेवा संविलियन आ. दि. 10-05-2012
153	श्री एस0के0 गुप्ता	02-10-63	बलिया	डिप्लोमा (सिविल)	सेवा संविलियन आ. दि. 10-05-2012
154	श्री डी0एस0 डिकवाण	15-04-68	चमोली	डिप्लोमा (सिविल)	सेवा संविलियन आ. दि. 10-05-2012
155	श्री बी0एम0एस0 नेगी	19-11-62	चमोली	डिप्लोमा (सिविल)	सेवा संविलियन आ. दि. 10-05-2012

प्रश्नगत सेवा के अधिकारियों की पारस्परिक ज्येष्ठता निर्धारण के लिए इस आदेश के प्रस्तर 2 मे विनिश्चित किये गये आधारभूत सिद्धान्त के विरुद्ध किसी प्रत्यावेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

(एस0 राजू)
प्रमुख सचिव

सं0 /उन्तीस/12–(40अधि0)/2012 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. अध्यक्ष, उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून।
2. मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून को इस आशय से प्रेषित की अपने अधिनस्थ सम्बन्धित अधिकारियों को उक्त ज्येष्ठता सूची से अवगत कराने का कष्ट करें।
3. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(जी0बी0 ओली)
संयुक्त सचिव

कार्यालय मुख्य महाप्रबन्धक उत्तराखण्ड जल संस्थान 'जल भवन' बी–ब्लाक नेहरु कालोनी देहरादून।

पत्रांक 5545कार्मिक/01/अन्तिम ज्येष्ठता सूची(कनिष्ठ अभि0)/57/2012–13 दिनांक 21/01/13

प्रतिलिपि:– निम्नलिखित को उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय आदेश संख्या 72/उन्तीस/12–(40अधि0)/2012 देहरादून दिनांक 17.01.2013 से निर्गत अन्तिम ज्येष्ठता सूची की प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। आप अपने अधीनस्थ कार्यरत कनिष्ठ अभियन्ता को इस सूची की एक प्रति उपलब्ध करा दें।

1. महाप्रबन्धक उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून (मुख्यालय)/पौडी/नैनीताल/पिथौरागढ।
2. समस्त अधीक्षण अभियन्ता उत्तराखण्ड जल संस्थान............................।
3. समस्त अधिशासी अभियन्ता उत्तराखण्ड जल संस्थान............................।
4. वरिष्ठ लेखाधिकारी उत्तराखण्ड जल संस्थान देहरादून।
5. लेखाधिकारी (अधि0), उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून।
6. जलकल अभियन्ता उत्तराखण्ड जल संस्थान ऋषिकेश/विकासनगर।
7. सम्बन्धित को नाम से द्वारा शाखाधिकारी/पी0एफ0 मुख्यालय।
8. श्री मनोज भटट वैयक्तिक सहायक उत्तराखण्ड जल संस्थान देहरादून को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सूची को स्कैन कर विभागीय वैबसाइट पर भी अपलोड करें।
9. आदेश पंजिका/गार्ड फाइल।

मुख्य महाप्रबन्धक